



# वार्षिक लेखा

## 2020 - 2021



# वार्षिक लेखा 2020 – 2021



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान  
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030



## विषय सूची

क्र. सं.	लेखों का नाम	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
1.	एनआईआरडीपीआर लेखा	1	26
2.	हितकारी निधि लेखा	27	29
3.	भविष्य निधि लेखा	30	32
4.	एनआईआरडीपीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा	33	35
5.	लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	36	43
6.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के लेखों पर भारत के सीएजी की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट	44	48
7.	अलग ऑडिट रिपोर्ट के जवाब	48	54



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान  
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20	भुगतान	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
प्रारंभिक बैंक शेष	1,20,96,05,393	1,66,48,41,300			
<b>अनु.1 पूंजीगत लेखा</b>			<b>अनु.1 पूंजी लेखा</b>		
पूंजीगत अनुदान	2,83,60,782	-	पूंजी अनुदान	27,54,96,642	30,53,30,378
<b>अनु.3 विन्हित निधि</b>			<b>अनु.3 विन्हित निधि</b>		
भवन निधि	35,39,606	1,26,98,261	भवन निधि	-	9,891
संचित निधि लेखा	49,18,61,637	54,48,04,283	संचित निधि	2,40,075	4,53,30,721
विकास निधि	6,31,771	70,92,258	विकास निधि	-	30
परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	48,12,97,334	1,06,29,35,722	परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	77,19,24,702	72,63,90,825
एफसीआरए - दिल्ली	35,92,014		पूंजी अनुदान - योजना	-	1,81,381
पीएमआरडीएफ - दिल्ली	65,31,444				
एमओआरडी से प्राप्त अनुदान सहायता	80,43,00,000	80,42,40,000			
<b>अनु.4 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान</b>			<b>अनु.4 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान</b>		
यात्रा भत्ता वसूली	-	9,79,170	यात्रा भत्ता वसूली	-	-
परामर्शी परियोजनाएं - एनआईआरडी	1,05,272	-	परामर्शी परियोजनाएं - एनआईआरडी	-	-
परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	24,60,994	4,08,89,106	परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	-	1,77,46,579
परामर्शी देयताएं	11,76,155	19,66,336	परामर्शी देयताएं	-	4,51,757
देयताएं एवं प्रावधान	20,49,57,801	6,35,78,590	देयताएं एवं प्रावधान	17,12,63,491	14,29,12,182
अनुदान सहायता पर ब्याज	36,93,491				

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20	भुगतान	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
पारगमन लेखा	8,97,07,835	11,22,84,808	पारगमन लेखा	10,03,85,301	12,05,12,099
अंतरण लेखा	50,32,91,632	30,10,36,259	अंतरण लेखा	48,92,37,072	44,81,44,046
देयताएं एवं प्रावधान - एनईआरसी	2,67,557	-	देयताएं एवं प्रावधान - एनईआरसी	2,20,04,496	-
देयताएं एवं प्रावधान - दिल्ली	17,31,36,484	-	देयताएं एवं प्रावधान - दिल्ली	1,69,98,380	-
<b>अनु.5 अचल आस्तियां</b>			<b>अनु.5 अचल आस्तियां</b>		
पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य		83,517	पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	39,77,206	1,16,87,070
			आरटीपी आस्तियां	11,25,529	-
			योजना पूंजी - डब्ल्यूआईपी- सोलार	59,15,000	-
पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	-	1,20,872	पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	-	1,62,08,710
पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती - एनईआरसी	-	-	पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती - एनईआरसी	5,19,121	8,43,785
पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती	17,827	-	पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती	45,106	4,98,685
			फर्नीचर एवं फिक्सचर	20,15,040	-
			कार्यालय उपकरण	13,88,140	-
			कटलरी क्रॉकरी और डी हॉल उपकरण	-	-
			कम्प्यूटर	9,20,301	-
			ए वी उपकरण	5,850	-
			संयंत्र और मशीनरी	15,57,225	-
			जनकपुरी भवन - दिल्ली	11,98,420	-
			लोधी रोड भवन - दिल्ली	1,28,63,775	-
			अन्य अचल आस्तियां - दिल्ली	33,64,454	-
<b>अनु.6 निवेश</b>			<b>अनु.6 निवेश</b>		
सावधि जमाओं में निवेश परामर्शी	1,13,30,152	1,04,12,000	सावधि जमाओं में निवेश परामर्शी	1,14,11,480	1,11,60,000
सावधि जमाओं में निवेश सामान्य लेखा	1,99,45,07,737	1,45,38,58,442	सावधि जमाओं में निवेश सामान्य लेखा	2,21,47,06,352	1,51,02,15,061
निवेश - चिह्नित निधि से	1,46,89,14,443	1,65,49,05,590	निवेश - चिह्नित निधि से	1,84,19,07,019	2,57,97,62,816

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20	भुगतान	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
<b>अनु.7 वर्तमान आस्तियाँ</b>			<b>अनु.7 वर्तमान आस्तियाँ</b>		
जमा (आस्तियाँ)	-	-	जमा (आस्तियाँ)	-	56,67,117
ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	8,74,766	6,87,887	ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	1,05,000	20,46,249
परामर्शी आस्तियाँ	17,96,193	6,666	परामर्शी आस्तियाँ	15,000	19,01,937
वर्तमान आस्तियाँ एवं अग्रिम	79,03,757	91,75,345	वर्तमान आस्तियाँ एवं अग्रिम	27,33,499	1,17,13,642
सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	4,11,35,730	17,56,12,717	सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	4,00,83,377	18,53,45,784
अंतरण लेखा	23,37,05,190	-	अंतरण लेखा	29,34,05,190	-
ऋण एवं अग्रिम - एनईआरसी	1,28,21,385	-	ऋण एवं अग्रिम - एनईआरसी	1,66,82,650	-
ऋण एवं अग्रिम - दिल्ली	19,27,829	-	ऋण एवं अग्रिम - दिल्ली	4,07,46,081	-
<b>प्रत्यक्ष व्यय</b>			<b>प्रत्यक्ष व्यय</b>		
वेतन	18,19,227	5,00,894	वेतन	34,93,84,740	35,67,35,155
स्वास्थ्य केंद्र आवर्ती	1,59,816	3,16,987	स्वास्थ्य केंद्र आवर्ती	83,76,358	91,29,738
स्वास्थ्य क्लब	1,98,200	2,34,514	स्वास्थ्य क्लब	11,29,912	24,95,488
अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	90,694	1,80,677	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	38,51,323	23,54,162
भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	-	-	भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	97,97,258	70,63,856
एलटीसी	-	-	एलटीसी	30,23,305	-
पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	63,919	52,94,724	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	16,51,89,975	24,77,07,770
<b>स्थापना व्यय</b>			<b>स्थापना व्यय</b>		
यात्रा भत्ता	3,16,922	5,11,098	पूर्व अवधि व्यय	2,09,161	45,51,601
अन्य स्थापना व्यय	21,81,230	41,24,718	यात्रा भत्ता	18,51,640	22,47,440

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20	भुगतान	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
रखरखाव व्यय	4,17,455	-	अन्य स्थापना व्यय	6,45,84,025	12,97,42,180
			रखरखाव व्यय	5,04,11,206	-
<b>क्रियाकलाप</b>			<b>क्रियाकलाप</b>		
प्राशिक्षण एवं अनुसंधान	32,07,068	1,24,00,579	प्राशिक्षण एवं अनुसंधान	5,12,35,269	13,04,55,245
			मानदेय	2,38,178	-
<b>अप्रत्यक्ष आय</b>			<b>अप्रत्यक्ष आय</b>		
प्रायोजित परियोजना से उपयोगकर्ता प्रभार / प्राप्तियाँ	2,93,23,930	14,25,35,946	प्रायोजित परियोजना से उपयोगकर्ता प्रभार / प्राप्तियाँ	11,17,765	8,04,503
सीपीजीएस पाठ्यक्रमों से शुल्क	3,49,05,520	4,72,56,044	सीपीजीएस पाठ्यक्रमों से शुल्क	1,40,00,000	2,09,53,612
ब्याज आय	9,52,65,538	11,75,98,848	ब्याज आय	185	4,319
लाइसेंस शुल्क	27,32,991	36,25,337	लाइसेंस शुल्क	1,048	12,354
अन्य विविध आय	1,29,46,197	1,11,43,425	अन्य विविध आय	500	9,360
			<b>अंतः बैक शेष</b>	<b>89,84,38,096</b>	<b>1,20,96,05,393</b>
<b>कुल</b>	<b>7,96,70,80,918</b>	<b>8,26,79,32,921</b>	<b>कुल</b>	<b>7,96,70,80,918</b>	<b>8,26,79,32,921</b>

शशि भूषण  
(शशि भूषण)  
वित्तीय सलाहकार

शशि कुमार  
(जी. नरेन्द्र कुमार)  
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2021 को तुलन पत्र

क्र. सं.	विवरण	अनु. संदर्भ	31-मार्च-2021	31-मार्च-2020
			रु.	रु.
	<b>पूँजी एवं देयताएं</b>			
I	संचित /पूँजी निधि	1	1,00,93,59,965	95,81,31,351
	आरक्षित एवं अधिशेष	2	-	-
	चिन्हित निधियां	3	9,70,09,29,038	5,48,45,87,309
	चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	36,27,28,100	44,24,53,694
	<b>कुल योग</b>		<b>11,07,30,17,103</b>	<b>6,88,51,72,354</b>
II	<b>आस्तियां</b>			
	अचल आस्तियां	5	70,31,88,538	35,07,73,656
	निवेश	6	5,80,81,58,486	5,04,24,52,575
	चालू आस्तियां	7	4,56,16,70,080	1,49,19,46,123
	विविध व्यय		-	-
	<b>कुल योग</b>		<b>11,07,30,17,103</b>	<b>6,88,51,72,354</b>
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	20		
	आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	21		

शशि भूषण  
(शशि भूषण)  
वित्तीय सलाहकार

जी नरेन्द्र कुमार  
(जी नरेन्द्र कुमार)  
महानिदेशक

**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**  
**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा**

		अनु.	31-मार्च-21 रू.	31-मार्च-20 रू.
<b>आय</b>				
<b>I</b>	<b>10. ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुदान-सहायता</b>	8	3,26,02,15,848	78,30,96,755
<b>II</b>	<b>अन्य आय</b>			
	12. उपयोगकर्ता शुल्क/प्रायोजित परियोजना प्राप्तियाँ	9	5,46,53,189	14,63,75,166
	13. सीपीजीएस पाठ्यक्रमों से शुल्क	10	2,09,05,520	2,60,37,893
	14. सामान्य प्राप्तियाँ	11	9,27,35,754	9,58,55,145
	<b>कुल</b>		<b>16,82,94,463</b>	<b>26,82,68,204</b>
	<b>कुल योग (क)</b>		<b>3,42,85,10,311</b>	<b>1,05,13,64,959</b>
<b>III</b>	<b>व्यय</b>			
	01. वेतन	12	37,21,71,691	33,99,97,324
	02. पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ	13	18,07,66,595	17,00,09,848
	03. चिकित्सा व्यय	14	56,10,120	94,97,350
	04. यात्रा व्यय	15	15,61,834	25,65,938
	05. प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	16	4,79,42,602	6,96,95,847
	06. मानदेय	17	3,28,178	9,58,350
	07. स्थापना व्यय	18	6,44,52,168	11,89,88,163
	08. रखरखाव कार्य	19	4,20,43,964	3,38,42,247
	स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	20	30,32,762	13,30,770
	मूल्यहास	21	3,35,49,661	3,16,59,317
	बीमांकिक अंतर	22	36,94,44,066	-
	<b>कुल (ख)</b>		<b>1,12,09,03,641</b>	<b>77,85,45,154</b>
<b>V</b>	<b>व्यय पर आय की अधिकता (क-ख)</b>		2,30,76,06,670	27,28,19,805
	<b>कुल योग</b>		<b>3,46,50,92,734</b>	<b>1,08,43,55,046</b>
	जोड़ें : पूर्व अवधि की आय		5,21,989	72,28,438
	घटा: पूर्व अवधि व्यय		2,13,93,12,207	45,51,601
	<b>शेष अधिशेष होना / (कम होना) संचित</b>	<b>22</b>	<b>16,88,16,452</b>	<b>27,54,96,642</b>
	<b>/ पूंजी निधि में ले जाया गया</b>			
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23		
	आकस्मिक देयताएँ और खातों पर नोट्स	24		

शांति भूषण  
(शांति भूषण)  
वित्तीय सलाहकार

जी नरेन्द्र कुमार  
(जी नरेन्द्र कुमार)  
महानिदेशक



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान  
31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	प्रारंभिक शेष	जोड़	उपयोग	31-मार्च-21	31-मार्च-20
दिल्ली					
i. एफसीआरए	-	35,92,014	-	35,92,014	-
ii. पीएमआरडीएफ	-	65,11,084	-	65,11,084	-
<b>कुल</b>	-	<b>101,03,098</b>	-	<b>1,01,03,098</b>	-
बीमांकिक प्रावधान					
i. पेंशन	-	2,18,52,03,532	-	2,18,52,03,532	-
ii. उपहार	-	24,32,07,787	-	24,32,07,787	-
iii. छुटी नकदीकरण	-	19,66,55,621	-	19,66,55,621	-
<b>कुल</b>	-	<b>2,62,50,66,940</b>	-	<b>2,62,50,66,940</b>	-
<b>कुल योग</b>	<b>5,48,45,87,309</b>	<b>5,55,90,53,123</b>	<b>1,34,27,11,394</b>	<b>9,70,09,29,038</b>	<b>5,48,45,87,309</b>

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		समूह	31-मार्च-21	31-मार्च-20
		संदर्भ		
<b>अनु.4</b>	<b>चालू देयताएँ और प्रावधान</b>			
	परामर्शी परियोजना	L4	3,45,44,047	5,33,89,078
	परामर्शी देयताएं	L5	1,61,56,864	1,53,69,533
	देयताएं और प्रावधान	L6	27,61,10,822	17,93,28,209
	पारगमन लेखा	L7	1,22,42,241	1,03,14,158
	अंतरण लेखा	L8	1,89,55,189	17,88,65,720
	अंतरण लेखा (परामर्शी)	L8	10,25,446	10,25,446
	अनुदान की अव्ययित शेष राशि	L9	-	41,61,550
	<b>कुल</b>		<b>35,90,34,609</b>	<b>44,24,53,694</b>
<b>अनु.6</b>	<b>निवेश</b>			
	सावधि जमाओं में निवेश - परामर्शी		1,14,11,480	1,13,30,152
	सावधि जमाओं में निवेश - सामान्य	A6	1,74,61,36,742	1,52,51,68,272
	संचित निवेश	A6	3,79,08,48,431	3,25,63,24,966
	अन्य परियोजनाएं - निवेश	A6	25,97,61,833	24,96,29,185
	<b>कुल</b>	A6	<b>5,80,81,58,486</b>	<b>5,04,24,52,575</b>
	चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि			
<b>अनु.7</b>	<b>चालू आस्तियां और अग्रिम</b>		3,63,70,95,890	19,72,24,553
	सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा	A4	66,36,759	81,27,831
	ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	A4	4,55,32,657	82,74,572
	जमा (परिसंपत्ति)	A4	1,22,26,568	1,22,26,568
	पारगमन लेखा	A5	9,550	4,17,679
	परामर्शी परिसंपत्ति	A7	62,26,524	78,86,038
	अंतःशेष सामान्य लेखा	A8	78,29,64,254	1,15,08,83,385
	अंतःशेष परामर्शी लेखा	A9	3,57,24,324	5,22,05,501
	अंतरण लेखा	A10	3,52,53,554	5,46,99,995
	<b>कुल</b>	A11	<b>4,56,16,70,080</b>	<b>1,49,19,46,123</b>

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान  
 31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

## अनुसूचियां 5: अचल आस्तियां

क्र.सं.	विवरण	मूल्यहास दर	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
			वर्ष की शुरुआत में लागत	वर्ष के अंत में लागत		वर्ष के अंत में बड़े खाते में डाला हुआ मूल्य	वर्ष के दौरान कुल जोड़	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के लिए घटना	कुल	31-मार्च-21	31-मार्च-20
				> 180 days	(4)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
1	भूमि	0%	10,76,74,169	-	-	10,76,74,169	-	-	-	-	10,76,74,169	10,76,74,169	
2	भूमि विकास	0%	5,98,266	-	-	5,98,266	-	-	-	-	5,98,266	5,98,266	
3	भवन - कार्यालय और जीएच	10%	25,14,03,632	2,36,560	12,72,592	15,09,152	22,22,40,896	30,03,559	-	22,52,44,455	2,76,68,329	2,91,62,736	
4	भवन - आवासीय	10%	-	29,59,096	8,73,345	38,32,441	38,32,441	-	3,39,577	3,39,577	34,92,864	-	
5	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	5,21,74,508	24,09,678	18,57,564	42,67,242	3,44,30,886	21,08,208	-	3,65,39,094	1,99,02,656	1,77,43,622	
6	कार्यालय उपकरण	15%	5,96,25,634	53,537	25,000	78,537	5,44,0,345	6,34,143	-	5,50,39,487	36,05,975	52,20,289	
7	कंप्यूटर	40%	11,07,19,311	5,10,579	4,56,972	9,67,551	10,68,51,260	18,42,847	-	10,86,94,106	29,92,756	38,68,052	
8	वाहन	15%	20,50,950	-	-	-	3,07,643	2,61,496	-	5,69,139	14,81,811	17,43,308	
9	कटलरी, क्रॉकरी और भोजन कक्ष उपकरण	10%	27,76,330	-	-	-	27,76,330	0	-	27,76,330	0	0	
10	दृश्य श्रव्य उपकरण	15%	6,45,78,842	-	5,850	5,850	4,60,53,415	27,79,253	-	4,88,32,668	1,57,52,024	1,85,25,427	
11	संयंत्र एवं मशीनरी	15%	1,35,51,868	6,95,537	2,51,657	9,47,194	75,90,462	10,17,416	-	86,07,878	58,91,184	59,61,406	
12	सौर और नवीकरणा ऊर्जा	40%	2,48,000	-	-	-	49,600	79,360	-	1,28,960	1,19,040	1,98,400	
13	स्वास्थ्य क्लब	15%	18,65,194	-	-	-	11,82,024	1,02,475	-	12,84,500	5,80,694	6,83,170	
14	पुस्तकालय पुस्तकें	40%	2,84,58,586	13,429	13,850	27,279	2,77,55,687	2,89,302	-	2,80,44,988	4,40,877	7,02,900	
15	सीपीजीएस आस्तियां	15%	23,14,805	-	-	-	23,07,485	1,098	-	23,08,583	6,222	7,320	

**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**  
**31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां**  
**अनुसूचियां 5: अचल आस्तियां**

क्र.सं.	विवरण	मूल्यहास दर	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
			वर्ष की शुरुआत में लागत	वर्ष के अंत में लागत	बड़े खाते में डाला हुआ मूल्य	वर्ष के दौरान कुल जोड़	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के लिए घटाना	कुल	31-मार्च-21	31-मार्च-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
16	आरटीपी आस्तियां		> 180 days	-	11,25,529	6,48,73,874	5,62,78,278	6,75,351	-	5,69,53,629	79,20,245	74,70,067
17	एनईआरसी आस्तियां		< 180 days	3,63,795	1,55,326	1,99,27,560	1,20,79,876	11,98,620	-	1,32,78,496	66,49,064	73,28,563
18	दिल्ली आस्तियां			3,375	-	16,03,38,080	14,29,11,430	19,99,486	-	14,49,10,916	1,54,27,164	
19	भवन निधि			-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	भवन	10%		-	-	23,01,48,986	15,07,95,395	79,35,359	-	15,87,30,754	7,14,18,232	7,93,53,591
21	संयंत्र एवं मशीनरी	15%		-	-	1,74,49,073	1,63,98,292	1,57,617	-	1,65,55,909	8,93,164	10,50,781
22	योजना पूंजीगत संपत्ति			-	-	8,73,79,644	2,49,96,347	91,24,495	-	3,41,20,842	5,32,58,802	6,23,83,297
	<b>कुल</b>			<b>72,45,586</b>	<b>60,37,685</b>	<b>1,28,87,33,849</b>	<b>90,94,10,651</b>	<b>3,35,49,661</b>	<b>-</b>	<b>94,29,60,311</b>	<b>34,57,73,538</b>	<b>34,96,75,362</b>
23	सी-गार्ड आस्तियां			-	-	3,79,10,355	3,79,10,355	-	-	3,79,10,355	-	-
24	योजना पूंजी कार्य प्रगति पर			59,15,000	-	59,15,000	-	-	-	-	59,15,000	-
25	सामान्य कार्य प्रगति में			10,98,294	-	10,98,294	-	-	-	-	-	10,98,294
	<b>कुल योग</b>			<b>1,31,60,586</b>	<b>60,37,685</b>	<b>1,33,25,59,204</b>	<b>94,73,21,006</b>	<b>3,35,49,661</b>	<b>-</b>	<b>98,08,70,666</b>	<b>35,16,88,538</b>	<b>35,07,73,656</b>
26	निक्षेप निधि मूल्यहास	0%		35,15,00,000	-	35,15,00,000	-	-	-	-	35,15,00,000	-
	<b>कुल योग</b>			<b>36,46,60,586</b>	<b>60,37,685</b>	<b>1,68,40,59,204</b>	<b>94,73,21,006</b>	<b>3,35,49,661</b>	<b>-</b>	<b>98,08,70,666</b>	<b>70,31,88,538</b>	<b>35,07,73,656</b>

नोट: भूमि पर विवरण के लिए कृपया लेखों पर टिप्पणी देखें

**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**  
**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां**

		31-मार्च-21 रु.	31-मार्च-20 रु.
<b>अनु. 8</b>	<b>10. ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुदान-सहायता</b>		
	वेतन - प्राप्त	5664,67,321	5134,30,000
	वेतन - प्राप्य	25000,70,246	-
	सामान्य	1936,78,281	2696,66,755
	अनुदान पर ब्याज	-	-
	<b>कुल</b>	<b>32602,15,848</b>	<b>7830,96,755</b>
<b>अनु. 9</b>	<b>12. प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्तियां</b>		
	संस्थागत / सम्मेलन कक्ष प्रभार / संकाय लागत / अन्य	546,53,189	1463,75,166
		<b>546,53,189</b>	<b>1463,75,166</b>
<b>अनु. 10</b>	<b>13. सीपीजीएस पाठ्यक्रम से शुल्क</b>		
	पीजीडीआरडीएम से शुल्क	166,69,220	252,51,070
	डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	42,36,300	7,86,823
	<b>कुल</b>	<b>209,05,520</b>	<b>260,37,893</b>
<b>अनु. 11</b>	<b>14. सामान्य प्राप्तियां</b>		
	<b>14.01 सामान्य</b>		
	<b>14.01.01 ब्याज आय</b>		
	ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	3,28,417	8,57,927
	एपीएसईबी के साथ जमा पर ब्याज	1,68,004	1,94,556
	लघु और दीर्घावधि जमा पर ब्याज	622,61,509	811,72,637
	एसबी खाते पर ब्याज	113,15,671	-
		<b>740,73,601</b>	<b>822,25,120</b>
	<b>14.01.02 अन्य आय</b>		
	पत्र पत्रिकाओं का अंशदान	1,31,490	2,42,450
	एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	13,930	62,651
	स्टाफ बस शुल्क - (भारत नगर)	1,48,262	2,18,348
	स्टाफ बस शुल्क - (सिकंदराबाद)	2,48,263	3,89,025
	निविदा प्रपत्रों की बिक्री	18,116	52,515
	कचरा संग्रहण शुल्क	52,972	46,885
	आरटीपी प्राप्तियां	5,39,525	52,88,262
	बंद कार्यक्रमों की बचत	14,49,037	23,89,762
	इनकम टैक्स रिफंड	88,51,252	-
	प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्राप्त शुल्क	3,47,800	-
		<b>118,00,647</b>	<b>86,89,898</b>
	<b>कुल 14.01</b>	<b>858,74,248</b>	<b>909,15,018</b>
	<b>14.02 लाइसेंस शुल्क</b>		
	नियमित कर्मचारी लाइसेंस शुल्क	2,88,467	-
	परियोजना कर्मचारी और सीपीजीएस छात्र लाइसेंस शुल्क	22,19,389	28,39,269
	अन्य लाइसेंस शुल्क	1,96,216	-
		<b>27,04,072</b>	<b>28,39,269</b>

**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**  
**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां**

		<b>31-मार्च-21 रु.</b>	<b>31-मार्च-20 रु.</b>
	<b>14.03 विविध प्राप्तियां</b>		
	आरटीआई प्राप्तियां	321	248
	विविध प्राप्तियां	1,01,452	4,57,716
	स्क्रेप की बिक्री	-	52,038
	अन्य संस्थानों से धनवापसी	-	1,00,578
	वाहनों का किराया	-	2,71,090
	<b>कुल</b>	<b>1,01,773</b>	<b>8,81,670</b>
	<b>14.04 एनआईआरडी - गुवाहाटी प्राप्तियां</b>		
	ऋण और अग्रिम पर किस्त- एनईआरसी	58,625	52,362
	सावधि जमा पर ब्याज- एनईआरसी	7,83,573	-
	स्थल कार्यक्रमों से प्राप्तियां - एनईआरसी	2,10,347	5,00,397
	लाइसेंस शुल्क- एनईआरसी	3,95,444	3,31,075
	विविध प्राप्तियां एनईआरसी	3,75,048	3,35,354
		<b>18,23,037</b>	<b>12,19,188</b>
	<b>14.05 एनआईआरडी - दिल्ली प्राप्तियां</b>		
	स्टाफ ऋण पर ब्याज	14,993	-
	बचत बैंक खाते पर ब्याज	17,86,294	-
	अन्य संस्थानों से ग्रेच्युटी योगदान	20,704	-
	एल.एस. अन्य संस्थानों से योगदान	3,97,660	-
	विविध प्राप्तियां - दिल्ली	12,973	-
		<b>22,32,624</b>	-
	<b>कुल योग (14.01 to 14.05)</b>	<b>9,27,35,754</b>	<b>9,58,55,145</b>
<b>अनु. 12</b>	<b>01 संस्थान का वेतन</b>		
	01.01. हैदराबाद	2733,59,172	29,99,45,363
	01.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	430,83,666	4,00,51,961
	01.03. दिल्ली	557,28,853	-
		<b>37,21,71,691</b>	<b>33,99,97,324</b>
<b>अनु. 13</b>	<b>02 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ</b>		
	02.01. हैदराबाद	16,30,11,855	16,52,69,354
	02.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	1,17,91,610	47,40,494
	02.03. दिल्ली	59,63,130	-
		<b>18,07,66,595</b>	<b>17,00,09,848</b>
<b>अनु. 14</b>	<b>03 चिकित्सा</b>		
	03.01. हैदराबाद	56,10,120	94,97,350
		<b>56,10,120</b>	<b>94,97,350</b>
<b>अनु. 15</b>	<b>04 यात्रा व्यय</b>		
	04.01. हैदराबाद	11,79,645	14,13,565
	02.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	3,82,189	11,52,373
		<b>15,61,834</b>	<b>25,65,938</b>

**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**  
**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां**

		31-मार्च-21 रू.	31-मार्च-20 रू.
<b>अनु. 16</b>	<b>05 प्रशिक्षण एवं अनुसंधान</b>		
	05.01. to 05.09 हैदराबाद	4,19,68,522	6,48,63,559
	05.10. एनईआरसी - गुवाहाटी	17,27,102	48,32,288
	05.11. दिल्ली	42,46,978	-
	<b>कुल</b>	<b>4,79,42,602</b>	<b>6,96,95,847</b>
<b>अनु. 17</b>	<b>06. मानदेय</b>		
	06.01 लेखा एवं प्रशासन (हैदराबाद)	3,28,178	9,58,350
	<b>कुल</b>	<b>3,28,178</b>	<b>9,58,350</b>
<b>अनु. 18</b>	<b>07. स्थापना व्यय</b>		
	07.01. हैदराबाद	4,02,58,371	9,78,99,966
	07.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	55,47,755	2,10,88,197
	07.03. दिल्ली	1,86,46,042	-
	<b>कुल</b>	<b>6,44,52,168</b>	<b>11,89,88,163</b>
<b>अनु. 19</b>	<b>08. रखरखाव व्यय</b>		
	08.01. हैदराबाद	3,24,32,548	3,38,42,247
	08.02. एनईआरसी - गुवाहाटी	96,11,416	-
	<b>कुल</b>	<b>4,20,43,964</b>	<b>3,38,42,247</b>
<b>अनु. 20</b>	<b>मूल्यहास</b>		
	पूँजीगत संपत्ति पर मूल्यहास	3,35,49,661	3,16,59,317
	<b>कुल</b>	<b>3,35,49,661</b>	<b>3,16,59,317</b>
<b>अनु. 21</b>	<b>स्टॉक में वृद्धि / (कमी)</b>		
	अंत शेष	48,81,581	79,14,343
	प्रारंभिक शेष	79,14,343	92,45,113
	निवल वृद्धि / (हास)	<b>30,32,762</b>	<b>13,30,770</b>
<b>अनु. 22</b>	<b>बीमाकिक अंतर</b>		
	उपहार	-1,00,01,104	-
	छुट्टी नकदीकरण	1,39,95,902	-
	पेंशन	36,54,49,268	-
	<b>कुल</b>	<b>36,94,44,066</b>	<b>-</b>
<b>अनु. 23</b>	<b>आईजीआर और अनुदान की कमी की पुर्नप्राप्ति</b>	16,88,16,452	27,54,96,642
	कुल आईजीआर (अनु. 9,10,11,12 और 13)		
	<b>घटाव:</b>	-	-
	<b>शेष आईजीआर</b>	16,88,16,452	27,54,96,642
	आईजीआर से पुनः प्राप्त अनुदान की कमी //(अधिशेष)	-	-
	<b>निवल आईजीआर</b>	<b>16,88,16,452</b>	<b>27,54,96,642</b>

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
<b>अनुसूची</b>	<b>(एल 3) परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान</b>		
	<b>सीगार्ड परियोजनाएं</b>		
1	सी1713 जीआईएस जीपीएस एवं कुल स्टेशन सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी	-	1,71,305
2	सी1721 स्थानीय प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन एवं परिवर्तन का पता लगाना	1,45,899	1,41,994
3	एस1611 डीएससीडब्ल्यूडी भुवनेश्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	70,863
4	एस1612 मडागास्कर में सी-गार्ड केंद्र की स्थापना	26,48,295	46,19,604
5	पी1614 पीसीडी भुवनेश्वर, ओडिशा सरकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	-1,75,601
6	एस1701 पीएमजीएसवाई पर एसटीपी - एनआरआरडीए	30,66,642	30,86,824
7	एस1713 भू-आईसीटी तकनोलॉजी आधारित सतत विकास पहल	-	1,55,824
8	एस1720 गुणवत्ता पर सीसी सड़कों का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	63,54,169	61,84,106
9	एस1721टिहरी गढ़वाल के लिए एपीआईबी परियोजना उत्तराखंड	1,10,50,024	57,88,177
10	एस1722 आन्ध्र प्रदेश में स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी जनरल और तुलना (एसएसी इसरो)	2,70,305	4,14,002
11	एस1805 ग्रामीण सड़क परियोजना पीजीजीएसवाई में भू-संसूचना	58,50,956	1,33,04,917
12	एस1808 एसआरआरडीए द्वारा कौशल विकास के लिए पीएमजीएसवाई	-	-3,263
13	एस1912 परामर्शी ग्रामीण सड़क एसएफए और पीएमजीएसवाई II	45,68,755	79,55,116
14	एस2138 4 जीआईएस केन्द्रों का गठन (सी-गार्ड)	-	-299
15	एस2191 ढाका में सिर्डाप आईसीटी केन्द्र की स्थापना	47,77,865	46,49,990
16	एस2391 ग्रामीण भारत के ऊर्जा संतुलन का अध्ययन - इसरो	-	7,80,924
17	एस2537- एपीआईबी - उत्तराखंड (उन्नयन)	-	3,63,644
18	एस2554 पीएमकेएसवाई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी-गार्ड)	-	-192
19	एस2557-ईडीपीआर एवं पीएमकेएसवाई की जियोहार्डडालाजी	-	-3,19,512
20	एस2560 बिज्जू केवीके परियोजना, ओडिशा सरकार	-11,57,743	-11,26,757
21	एस2567 पीएमकेएसवाई पर 2 दिवसीय कार्यशाला (सी-गार्ड)	2,07,660	2,02,102
22	एस2568 ग्रामीण सड़कों में स्पेस तकनोलॉजी का अनुप्रयोग - सी-गार्ड	-	-1,21,733
23	एस2571 ओडब्ल्यूडीएम ओडिशा द्वारा प्रायोजित पीएमकेएसवाई के तहत डीआईपी	-	10,09,262
24	एस2581 मनरेगा में भू-कार्यान्वयन	4,24,70,140	5,73,75,397
25	एस2583 इसरो द्वारा ईपीआरआईएस परियोजना	8,19,689	7,97,751
	<b>डीडीयू जीकेवाई परियोजनाएं</b>		
26	सावधि जमाओं पर ब्याज	96,12,281	63,11,859
27	एस0221 रुडसेटी के तहत आरएसईटीआई के लिए ईआरपी का विकास	9,92,970	-
28	एस2099 एसजीएसवाई बीपीएल युवा होशंगाबाद -एमपी- एआईएसईसीटी	50	50
29	एस2233 एनआरओ - डीडीयूजीकेवाई	47,46,771	-13,22,069
30	एस2363 मुख्य शिक्षा एवं टेकनोलॉजी लिमिटेड (एसजीएसवाई)	4,00,000	4,00,000
31	एस2441 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (झारखंड)	6,983	6,983
32	एस2500-इंडिया कैन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड (असम-एस)	-	-6,73,896
	<b>सामान्य</b>		
33	सी1601 रणनीतिक संचार के लिए यूनिसेफ संस्थागत तंत्र	-	-1,618
34	पी0033 कार्य अनुसंधान परियोजना	1,02,886	-
35	एस2527 सासंद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	2,33,68,668	7,44,34,036
36	सी0120 पीएसआईजी कार्यक्रम एसआईडीबीआई -एमएसई द्वारा पहुंच में आसानी	1,56,735	4,99,000

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
37	सी0220 यूबीए गांवों के लिए प्रस्ताव लेखन- आईआईटी दिल्ली	5,17,305	5,03,460
38	सी 0320 आई प्रमाणन कार्यक्रम - सिनजेटा फाउंडेशन	5,20,493	-
39	सी0420 एसटीपी कौशल आजीविका और वित्तीय समावेशन-सीआईसीटीएबी	51,062	-
40	सी0520 कृषि एफपीओ में समावेशी विकास - सीआईसीटीएबी	6,45,200	-
41	सी0620 आंध्र प्रदेश में नाबार्ड के किसान उत्पादक संगठनों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	4,35,313	-
42	सी1604 बहुसंख्यक - संयुक्त राष्ट्र महिला	-	1,45,385
43	सी1701 एनएमडीसी आईवीडी के सीएसआर पहल	-	7,20,862
44	सी1702 कृषि अध्ययन केन्द्र का ईपीओ कक्ष	-	-4,41,368
45	सी1703 शौचालय निर्माण का सीएसआर थर्ड पार्टी द्वारा लेखापरीक्षा	-	1,62,407
46	सी1704 सीएसआर गतिविधियों की मूल्यांकन रिपोर्ट	-	1,79,709
47	सी1708 कृषि उद्यमिता कार्यक्रम (बीआरएलपीएस)	-	3,93,433
48	सी1709 कृषि उद्यमिता एपी - एसईआरपी	-	12,92,715
49	सी1710 महाराष्ट्र में एसएफएसी एफपीओ का प्रशिक्षण	-	11,07,648
50	सी1711 नीतिगत संचार आ.प्र, तेलंगाना, कर्नाटक यूनिसेफ	1,87,032	3,07,650
51	सी1712 कार्यशाला सामाजिक मानदंड जानकारी हब -यूनिसेफ	-	26,242
52	सी1714 एसएचजी - बैंक संयोजन कार्यक्रम नाबार्ड	-	-59
53	सी1715 राष्ट्रीय स्वच्छता संसाधन केंद्र	-	-15,212
54	सी1718 आ.प्र. में क्षेत्र विकास कार्यक्रम में स्नातक मॉडल का प्रभाव	-	1,20,254
55	सी1719 पोषण मूल्यांकन में सुधार हेतु कीस ओल्ड ब्लैक बाक्स - विकास पद्धतियां	-	9,86,327
56	सी1801 एनएमडीसी सीएसआर कार्यक्रम	-19,16,455	-13,38,324
57	सी1803 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कर्नाटक राज्य	-	-93,393
58	सी1805 यूबीए नियोजन संस्थानों द्वारा अपनाए गए वीसी	2,27,594	3,98,090
59	सी1807 राष्ट्रीय पोषण - सीएचआरडी	16,15,346	15,80,044
60	सी1810 कृषि उद्यमिता कार्यक्रम का मूल्यांकन	-	2,13,449
61	सी1811 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन	-	-9,509
62	सी1812 जीएमआरवी फाउंडेशन की सीएसआर पहल का थर्ड पार्टी मूल्यांकन	-	89,199
63	सी1814 आईएमएमएनए प्रसार कार्यशाला	-	1,36,230
64	सी1815 शौचालय की मरम्मत पर सीएसआर एनएलसीआईएल 2018 लेखापरीक्षा	-	4,59,767
65	सी1816 सीएसआर - सैनिटरी नैपकिन टीएस पर जागरूकता (बीडीएल)	34,86,466	37,36,658
66	सी1817-एसएचजी बीसी पाथवे परियोजना	14,22,019	9,95,590
67	सी1901 नाबार्ड श्री निधि अध्ययन	-88,941	28,028
68	सी1902 आ.प्रदेश में एफपीओ/पीओपीआई के लिए आरएसए - नाबार्ड	-1,37,212	20,04,376
69	सी1904 एलईडी सोलार स्ट्रीट लाइट एनएलसीआईएल का प्रभाव मूल्यांकन	-	-1,10,758
70	सी1905 एनआईआरडीपीआर में सीआरसी - सीजीएस की स्थापना	9,08,485	-1,87,061
71	सी1906 जीपीडीपी ग्वालियर के माध्यम से बच्चों के अनुकूल जीपी पर राष्ट्रीय सम्मेलन	1,09,783	1,21,030
72	सी1907 कुपोषण को कम करना, खाद्य सुरक्षा- सीएसए	8,31,456	10,24,783
73	सी1909 एआर के लिए सतत विकास - जीपीडीपी- 10 क्लस्टर- एपी	47,82,248	46,11,347
74	सी1910 श्रमिक उत्पादकता -सीडब्ल्यूई - यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग	16,32,154	11,90,555
75	सी1911 कृषि उद्यमिकताओं के मेटर्स के लिए परामर्शी डब्ल्यूएस - एसएफआई	-	5,35,609
76	सी1912 मोबाइल फिल्म मेकिंग पर कार्यशाला	-	-57,019
77	एस0120 एमएसएमई उद्यमिता कौशल 20 करोड	-	2000,00,000
78	एस0220 एमएसएमई उद्यमिता कौशल 2.35 करोड	-	235,00,000

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
79	एस0320 पंचायत उद्यम स्यूट (पीईएस) अनुप्रयोग	9,25,615	16,00,658
80	एस0321 मीडिया और प्रचार का मूल्यांकन और 'एक्शन रिसर्च एंड रिसर्च स्टडीज'	3,03,600	-
81	एस0420 जीपीडीपी पंचायत सेवा वितरण पर प्रभाव	5,67,724	-
82	एस0720 एवी लैब और एवी स्टूडियो	8,97,651	-
83	एस0820 - सीपीजी - लचीला जलवायु परिवर्तन में नवाचार	1,10,124	-
84	एस0920 एमपी और मॉड्यूल में पेसा का कार्यान्वयन	-55,340	-
85	एस1020 एनआईआरडीपीआर में सीआईआरडीएपी केंद्र की स्थापना	10,00,000	-
86	एस1120 प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु परआईएनटीएल ई-टीआरजी पीआरजी	-1,502	-
87	एस1601 पीएमएजीवाई (डीएसजे एंड ई) का मूल्यांकन	-	-1,48,675
88	एस1602 भारत पंचायत आईपीकेपी का संचालन	94,48,564	91,95,683
89	एस1604 जीपी और गांवों के लिए विकास सेवाओं पर आर.एस.	-	-1,31,798
90	एस1606 झारखंड में निर्वाचित महिला पीआरआई का सीबी प्रशिक्षण	39,76,114	38,69,697
91	एस1607 मनरेगा उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन पर अध्ययन	-	60,415
92	एस1608 ई-सक्षम द्वारा पीआरआई के माध्यम से भारत का रूपांतरण	1,68,25,421	4,02,22,294
93	एस1609 ईटीपी पर मनरेगा का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव	-	2,53,638
94	एस1615 एकीकृत कार्य योजना, ओडिशा सरकार	-	-2,71,858
95	एस1703 असम निर्वाचित महिलाओं का क्षमता निर्माण	-	-2,65,716
96	एस1705 आरटीपी परियोजनाएं	-1,69,96,081	-1,35,92,474
97	एस1708 आईपीआरपी और लेखा परीक्षकों को एसटीपी (एनआरएलएम)	8,99,244	8,75,177
98	एस1709 एनआरएलएम - सीजीएसआरएलएम	11,22,265	10,93,758
99	एस1711 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सीबी एण्ड टी	9,35,579	11,07,086
100	एस1712 एमकेएसपी परियोजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन	-	-30,49,231
101	एस1714 पीआर सांख्यिकी पर एचबी का प्रकाशन	15,34,903	14,93,823
102	एस1715 महिला बाल कल्याण विभाग के निदेशक	1,96,516	1,91,256
103	एस1725 पीआरआई निकोबार के निर्वाचित प्रतिनिधि	-	2,79,367
104	एस1726 सतत ग्रामीण विकास के लिए भू जलवायु आधारित नवोन्मेषण	-	3,64,744
105	एस1801 12 राज्यों में एससीए से लेकर एससीएसपी तक पर अध्ययन (सीपीएमई)	3,84,804	3,74,505
106	एस1802 आईईसी प्रभाग के लिए सलाहकारों की नियुक्ति	4,57,728	4,61,062
107	एस1803-राष्ट्रीय भू-स्थानिक व्यवसायिक योजना वित्तीय सहायता	11,45,779	11,25,972
108	एस1804 जीपीडीपी पर राष्ट्रीय कार्यशाला (सीपीआर)	-	1,71,449
109	एस1806 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 एपी कर्नाटक	1,56,228	2,46,405
110	एस1807 एपी में मनरेगा अनुसंधान अध्ययन	6,46,257	6,28,961
111	एस1809 झारखंड जेएसएलपीएस के लिए इंडक्शन और इमर्शन	26,32,842	25,66,015
112	एस1810 आरडी 01-21 अगस्त 18 पर आंतरिक लेखा परीक्षा पर सीपी	68,57,287	27,64,983
113	एस 1811 10-29 सितंबर, 2018 को ग्रा. वि के आंतरिक लेखा परीक्षा पर सीपी	-	-6,14,941
114	एस1812 पीआर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (हि.प्र.) के लिए सीबी प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	70,137
115	एस1813 पीएमएवाई के तहत एपीटीआईसीओ सामाजिक लेखा परीक्षा	-	1,73,730
116	एस1814 पीआर कार्यकर्ताओं के लिए समय और कार्य अध्ययन	2,24,872	2,18,854
117	एस1825 परामर्श-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, वैशाली - कपार्ट	22,37,653	15,49,938
118	एस1815 राजस्थान एपी - मनरेगा के लिए प्रशिक्षण सह अध्ययन दौरा	12,63,264	12,29,454
119	एस1816 जैव विविधता संचालन पर तीसरा टीओटी	19,07,108	18,56,066
120	एस1817 एफआईई पर प्रबंधन विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएफआईई)	-	-2,00,484

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
121	एस1818 जीपी में मिशन अंत्योदया पर अध्ययन -सीपीएमई	-	-20,76,515
122	एस1819 5 राज्यों में एनएसएपी के तहत योजनाओं के लिए अग्रगामी सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन	13,36,631	13,47,439
123	एस1820 सतत विकास में जल स्रोत प्रबंधन	-18,58,520	-18,08,779
124	एस1821 त्रिपुरा के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रदर्शनी दौरा	9,61,088	9,35,365
125	एस1822 जीपीडीपी की तैयारी में पीआर का सीबी एवं हैंडहोलिंग -सीपीआर	12,15,262	17,93,310
126	एस1823 जलागम परियोजना का मूल्यांकन 150एमडब्ल्यूएस -आरएलटीएपी-केबीके जिला	5,11,938	3,36,298
127	एस1824 जलागम परियोजना का मूल्यांकन एसीए 314 एमडब्ल्यूएस -आरएलटीएपी-केबीके	8,51,341	5,48,574
128	एस1826 अनुप्रयोग आधारभूत संरचना का विकास जीईओ-मनरेगा स्थानिक का पी एवं एम	29,54,718	1,26,43,973
129	एस1827 एसटीपी आरटीपी आरजीएसए छत्तीसगढ़ फरवरी-मार्च 2019	-	-4,40,327
130	एस1828 ओडीएफ सततता -स्वच्छ भारत मिशन	9,10,814	8,86,437
131	एस1829 जिला स्तर के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण	-	-7,50,724
132	एस1830 पीवीटीजी कर्मचारी 6 दिवसीय प्रदर्शनी प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,12,087	1,09,087
133	एस1831 एसएलएसीसी में सीबी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	73,77,529	10,12,303
134	एस1832 नशीली दवाओं के दुरुपयोग और रोकथाम पर कार्यशाला	20,17,967	19,63,958
135	एस1833 उत्तराखंड के ईआर का प्रशिक्षण परिरचयात्मक दौरा	49,63,428	48,32,750
136	एस1834 आईआईएच एवं पर्यावरण में गतिशीलता	-	-61,107
137	एस1835 प्रत्यक्ष प्रशिक्षकों के कौशल पर टीओटी और एसटीएआरपीएआरडी का डिजाईनिंग, पश्चिम बंगाल	10,54,306	10,26,089
138	एस1836 एनईआर के IX के अलावा अन्य में क्षमता निर्माण	-	79,506
139	एस 1901 परिचयात्मक दौरा - केरल के पीआरआई - डीएलजी- केआईएलए	2,02,575	1,97,153
140	एस 1902 ग्रामीण आजीविका प्रभाग के लिए एसएलएसीसी-एलटीएसए - एमओआरडी	38,55,527	59,520
141	एस 1903 वर्ष 2015-16 और 2016-2017 आ.प्र सरकार के लिए आरकेवीवाई परियोजनाओं का थर्ड पार्टी मूल्यांकन	-	-3,85,685
142	एस 1904 यूपीएसके के कार्यक्रम पर प्रभाव अध्ययन - सीएफआईई	4,87,716	2,69,521
143	एस 1905 जलवायु परिवर्तन पर सिर्डाप की 34 वीं टीसी - जून 2019	-	-12,60,206
144	एस 1906 एकपीआरआईजीपी प्रलेखन - एपीआरआई - डब्लूडी और सीडब्ल्यू - सीएचआरडी	79,160	8,09,663
145	एस 1907 लेह के नव निर्वाचित सरपंचों के लिए एक्स और सीबी	-2,11,013	-2,03,073
146	एस 1908 कर्नाटक के मैसूर जिला पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जीपीडीपी संवेदी कार्यक्रम	3,99,991	4,12,336
147	एस 1909 आरजीएसए के तहत एमओपीआर में एनपीएमयू की स्थापना	11,17,282	80,60,633
148	एस 1910 एसटीपी एमपी मिड कैरियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर -सीजीजीपीए	-	-68,977
149	एस 1911 नव निर्वाचित पीएसआरएलएम-एनआरएलएम कर्मचारियों का परिचयात्मक दौरा	8,15,529	7,93,702
150	एस 1913 झारखंड के 133 जीपी में एआर सतत विकास जीपीडीपी	39,28,682	45,23,226
151	एस 1914 ठोस एवं तरल अपशिष्ट का ओडीएफ सतत प्रबंधन - एमपी	5,57,287	5,42,372
152	एस 1915 महाराष्ट्र एवं तेलंगाना में एनएसए का प्रभाव प्रदर्शन	87,211	6,40,948
153	एस 1916 यूबीए- एमएचआरडी- सीपीएमई पर मूल्यांकन	40,02,760	28,13,394
154	एस1917 एसटीपी से एसपीएम डीपीएम बीपीएम सीजीएसआरएलएम-एनआरएलएम के वाईपी	24,35,937	10,58,386
155	एस 1919 लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के बीडीसी अध्यक्षों के लिए एसटीपी - फरवरी 2020	-	-105
156	एस 1921 उत्तराखंड के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सह परिचय	3,43,429	3,45,429
157	एस 1922 एसटीपी पीआरआई - त्रिशूर - केआईएलए - फरवरी 2020	3,15,726	3,07,276
158	एस 1923 लद्दाख के बीडीसी अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सह परिचयात्मक दौरा	3,08,392	3,24,293
159	एस2239- सिर्डाप प्रशिक्षण कार्यक्रम 2013-14	-66,73,178	-66,67,867
160	एस2428-केरल इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए)	3,71,67,497	3,61,72,746
161	एस2516 220 आईएवाई के प्रशिक्षण एवं प्रबंध के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,10,97,436	1,08,00,427

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
162	एस2518 प्रशिक्षण सह जागरुकता -नरेगा एवं आईएवाई (1-15/9/14)	-	6,165
163	एस2523 लक्ष्य	4,12,493	4,09,434
164	एस2541 रूरबन मिशन (एसपीएमआरएम)	1,02,96,426	71,99,050
165	निष्क्रिय निर्धारित निधि	16,87,05,827	16,41,90,586
166	पी0006 (ए) - अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम -2013-14	3,39,62,871	2,79,15,929
167	पी0006 पी - प्रायोजित अनुसंधान परियोजना - एनईआरसी	-6,43,851	-14,75,939
168	पी0006 पी - प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान)	6,24,05,136	6,24,05,136
169	पी0006 पी - प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान) - एनईआरसी	85,39,156	99,55,540
170	एस01117 एस-यूएनडीपी उचंत	-9,17,637	-9,17,637
171	एस0126 यूएनडीपी-13	36,41,064	36,41,064
172	एस2225 टॉलिक- हिन्दी	-	-3,590
	<b>परियोजना बैंक खाता</b>		
173	सीआरसीडीबी एवं एमआई	10,62,03,530	10,73,32,125
174	डीडीयू - जीकेवाई	12,32,24,294	9,64,77,896
175	एमजीएनआरईजीए	71,01,33,090	76,14,76,896
176	एमकेएसपी	92,75,113	87,52,743
177	एनआरएलएम आरसी	3,37,82,692	5,39,59,016
178	पीएफएमएस3615	-	-
179	पीएफएमएस3617	7,88,46,591	10,057
180	पीएफएमएस3825	10,057	10,057
181	पीएफएमएस796	10,333	10,057
182	पीएफएमएस9179	10,333	10,057
183	आरसेटी- एनआईआरडीपीआर	3,36,36,745	-7,28,41,325
184	एसएलएसीसी	-	1,01,22,991
185	एसआरएससी- एनआईआरडीपीआर	10,23,35,808	9,89,30,577
186	संयुक्त राष्ट्र महिला	28,765	28,765
187	प्राप्य के रूप में प्रदर्शित शेष (ए4 को अंतरित)	3,06,57,473	11,46,68,298
	<b>कुल</b>	<b>1,77,25,76,410</b>	<b>2,01,63,96,335</b>
	<b>(एल4) परामर्शी परियोजनाएं</b>		
	<b>एनआईआरडीपीआर - क्षे. का</b>		
1	एटीएमए - सिक्किम - क्षे. का	1,52,427	1,52,427
2	असम में पीएमएजीवाई बेसलाईन सर्वेक्षण	-1,62,196	-1,62,196
3	क्षमता निर्माण एचएच ओपी IX क्षेत्र एनईआई आरजीएसए - क्षे.का	14,55,945	45,09,899
4	क्षमता निर्माण - प्रशिक्षण एन ई सी - एन आर एल एम - क्षे.का	18,93,387	18,93,387
5	क्षमता निर्माण आरजीएसए एसआईआरडी - असम -क्षे.का	-6,26,696	-6,26,696
6	सी - गार्ड आधारभूत संरचना विकास (एनईसी) - क्षे.का	26,31,546	26,31,546
7	असम क्षे.का द्वारा चीन मलेशिया का परिचयात्मक दौरा	-16,65,211	-16,65,212
8	परामर्शी जागरूकता क्षमता निर्माण ईआरएससीए त्रिपुरा -क्षे.का	-1,51,056	-1,45,333
9	परामर्शी - घाटी विकास प्रशिक्षण - मेघालय	18,23,710	18,23,710
10	परामर्शी - एनआरएलएम क्षे.का. एनईआरसी बैंक लेनदेन क्षे.का	48,00,804	128,46,734
11	परामर्शी - बीएलएस-पीएमएजीवाई-असम- क्षे.का	16,81,567	16,90,159
12	परामर्शी - ईपीआरआईएस परियोजना - इसरो -क्षे.का	-15,806	-15,806

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
13	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी बी-॥ एवं ॥॥ का विकास नागालैंड - क्षे.का	5,31,504	5,85,178
14	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी पीएमकेएसवाई का विकास नागालैंड - क्षे.का	-1,68,249	-
15	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी का विकास - त्रिपुरा बी-॥ - क्षे.का	92,203	92,203
16	परामर्शी - पीईआर के असम - अंडमान एवं निकोबार द्वीप के लिए परिचयात्मक दौरा-क्षे.का	81,786	81,786
17	परामर्शी - दक्षिण कोरिया एवं जापान के लिए परिचयात्मक दौरा - क्षे.का	6,70,597	6,70,597
18	परामर्शी- खाद्य प्रसंस्करण -एमएसआरएलएस - मेघालय -क्षे.का	40,953	40,953
19	परामर्शी - जीआईएस संसाधन मानचित्रण - क्षे.का	5,10,475	5,10,475
20	परामर्शी - एचईएससीओ परियोजना - क्षे.का	6,666	6,666
21	परामर्शी - एनआईआरएएमओवाई परियोजना - क्षे.का	5,88,851	5,88,851
22	परामर्शी - एनआरएलएम क्षे.का. एनईआरसी परियोजना	37,70,483	37,70,483
23	परामर्शी - 10% पारिश्रमिक सभी परियोजनाएं - क्षे.का	-6,88,680	-6,88,680
24	परामर्शी - आर आर सी - एमजीएनआरईजीएस असम - क्षे.का	59,117	59,117
25	परामर्शी - मेघालय के लिए ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे - क्षे.का	18,20,048	-
26	परामर्शी - असम करघा के अंतर्गत एसएचजी - क्षे.का	-25,348	-6,154
27	परामर्शी - एसएलएनए - त्रिपुरा क्षे.का	1,03,480	1,03,480
28	परामर्शी -ईएफआई के लिए पारंपरिक एवं एनएचवी फसलों की भूमिका पर अध्ययन	-4,54,031	-53,057
29	परामर्शी - अध्ययन - एमजीएनआरईजीएस - पी एवं आरडी असम - क्षे.का	1,42,724	1,42,724
30	परामर्शी - जल संसाधन विभाग मेघालय - क्षे.का	-33,438	-33,438
31	डीडीयू जीकेवाई -क्षे.का	-63,384	-27,730
32	बीआरजीएफ का मूल्यांकन अध्ययन - मेघालय - क्षे.का	37,487	37,487
33	एसआईआरडी राजस्थान द्वारा प्रदर्शनी दौरा	73,934	73,934
34	मत्स्य एवं सूअर कृषक (मेघालय) - क्षे.का	25,77,107	25,77,107
35	जीआईएस-एमएपी-आई डब्ल्यू एम पी-असम - क्षे.का	1,09,239	1,09,239
36	आईडब्ल्यूएमपी - मूल्यांकन पीएमकेएसवाई - बी-॥-त्रिपुरा - क्षे.का	2,80,000	2,80,000
37	आई डब्ल्यू एम पी - कोकराझार - क्षे.का	93,787	93,787
38	आई डब्ल्यू एम पी-प्रशिक्षण -एसएलएनए-असम - क्षे.का	11,22,817	11,22,817
39	आई डब्ल्यू डब्ल्यू पी - मूल्यांकन परियोजना नागालैंड - क्षे.का	7,49,990	7,49,990
40	सौर उष्मीकरण सिस्टम के लिए एमएनआरई - क्षे.का	3,99,969	3,99,969
41	एनईसी -क्षमता -निर्माण-एनआरएलएम-तीसरा चरण - क्षे.का	-16,20,074	-16,20,075
42	एनईसी - एमएपी - क्षे.का	-1,21,048	-1,21,048
43	एनईसी - झूम कृषि भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी - क्षे.का	1,11,504	96,14,433
44	एनएफडीबी -बील मछली प्रशिक्षण -क्षे.का	1,14,783	1,14,783
45	एनएफडीबी -कतौरा -नलहरी में मत्स्य पालन विकास - क्षे.का	31,171	31,171
46	वर्षा जल सिंचाई - क्षे.का	-1,115	-1,115
47	एसएमई पर एसटीपी और दक्षिण कोरिया एवं जापान के लिए परिचयात्मक दौरा-असम सरकार-क्षे.का	12,71,697	12,71,697
48	मेघालय के लिए जल संसाधन पर एसटीपी - क्षे.का	1,69,655	1,69,655
49	टीएसआई-बीआरजीएफ, मेघालय - क्षे.का	6,39,036	6,39,036
50	ग्राम अभिग्रहण - हतियुता -क्षे.का	15,656	15,656
51	व्यावसायिक प्रशिक्षण - डब्ल्यूजीएच - मेघालय - क्षे.का	23,92,943	23,92,943
52	वेस्ट गारो हिल्स -मेघालय प्रशिक्षण एवं परिचयात्मक दौरा - क्षे.का	14,95,000	14,95,000
53	प्राप्य के रूप में प्रदर्शित शेष (ए8 को अंतरित)	57,96,332	51,66,539
	<b>कुल</b>	<b>3,45,44,047</b>	<b>5,33,89,078</b>

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
<b>अनुसूची</b>	<b>(एल 5) परामर्शी देयताएं</b>		
1	निवेश पर 25% ब्याज - हितकारी निधि	9,33,603	7,30,851
2	निवेश पर 75% ब्याज - विकास निधि	28,00,807	21,92,552
3	सी0269 सामान्य एवं परामर्शी के बीच अंतरण	1,06,06,674	1,06,06,674
4	सी0272 मानदेय उचंत	10,92,855	10,92,855
5	सी0282 आयकर	3,900	3,900
6	विविध प्राप्तियां -एनईआरसी	3,80,088	3,80,088
7	प्राप्य के रूप में प्रदर्शित शेष (ए8 को अंतरित)	-	-
8	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (ए8 से अंतरित)	-	-
7	प्रतिभूति जमा - क्षे.का	3,38,937	3,62,614
	<b>कुल</b>	<b>1,61,56,864</b>	<b>1,53,69,533</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(एल 6) देयताएं एवं प्रावधान</b>		
	<b>एचओ - हैदराबाद</b>		
1	एस0010 एस-प्रतिभूति जमा	1,12,52,569	1,01,36,513
2	एस0011 एस-बयाना राशि जमा	32,79,337	32,46,516
3	एस0014 एस-आयकर (ठेकेदार) - 94सी	1,06,575	-8,15,149
4	एस0014 टी डी एस वेतन 92बी	-6,22,699	-3,13,491
5	आयकर - 94जे	4,33,280	-
6	एस0058 एस- बिक्री कर / वैट	1,54,109	1,54,109
7	एस2119 आरसेटी	72,17,840	-2,67,506
8	एस2233 परियोजना से एनआईआरडी को अनुश्रवण प्रभार	13,73,28,131	9,13,12,009
9	एस2237- अवर्गीकृत आरटीजीएस प्राप्तियां	4,94,50,038	5,56,21,301
10	एस2252 जीएसटी प्रेषण	-	2,96,637
11	एस2257 जीएसटी पर टीडीएस	-630	5,96,240
12	सेवा कर	-	-9,538
13	टी1011 बकाया देयताएँ	3,22,26,479	1,68,61,516
	<b>एनईआरसी - गुवाहाटी</b>		
14	एस0010 एस-प्रतिभूति जमा -एनईआरसी	8,62,411	6,54,354
15	एस0011 एस-बयाना राशि जमा-एनईआरसी	4,63,515	4,49,015
	<b>एनआईआरडी - दिल्ली</b>		
16	ठेकेदार से जमा	57,000	-
17	पुराने चेक	4,29,119	-
18	अन्य प्रावधान (वेतन एवं प्रशासन)	74,36,065	-
19	कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रदर्शनी, फराह, मथुरा	3,845	-
20	सरस आजीविका 2019	35,68,306	-
21	सरस आजीविका 2019 इंडिया गेट	67,40,255	-
22	सरस-आईआईटीएफ 2019(14802288-7628406) -सूरजकुंड मेला	1,48,02,288	-
23	दिल्ली शाखा उचंत	11,494	-
24	टीडीएस - 94सी- दिल्ली	14,716	-
25	शेष राशि देयता के रूप में दिखा रहा है (A4 से स्थानांतरित)	2,73,450	-
26	प्राप्य के रूप में दिखा रहा शेष (ए4 में स्थानांतरित)	6,23,329	14,05,684
	<b>कुल</b>	<b>27,61,10,822</b>	<b>17,93,28,209</b>

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
	<b>(एल7) पारगमन लेखा</b>		
1	एस0013 एस-आयकर (वेतन)	19,58,717	13,76,073
2	एस0015 एस-एल आई सी	2,03,326	2,22,397
3	एस0016 एस-जी आई एस	6,795	-2,86,714
4	एस0017 एस-हितकारी निधि वेतन	-	1,33,150
5	एस0018 एस-वृत्ति कर	18,450	1,16,240
6	एस0019 एस-एस आर सी	1,933	2,635
7	एस0041 एस-डाक जीवन बीमा योजना	7,614	8,968
8	एस0077 एस-बैंक ऋण	10,86,950	22,900
9	एस0088 एस-बीबीबीबी स्कूल शुल्क	-9,550	-9,550
10	एस0095 एस-केबल टीवी कनेक्शन	9,700	7,800
11	एस0113 एस-एनईआरसी	200	200
12	एस0202 एस-सामान्य भविष्य निधि -वेतन	-	6,74,167
13	एस2223 एजी(ए एवं ई) केरल (डीजी)	-	120
14	एस2232 स्वास्थ्य संचित निधि	-	15,500
15	एस2246 सीएओ; कपार्ट, नई दिल्ली	750	8,910
16	एस2247 महालेखाकार हैदराबाद	50,770	50,770
17	एस2248 एफ ए एवं सी ए ओ आधुनिक कोच फैक्टरी, रायबरेली	-	-167
18	एस2251 यूएस प्रशासन मिजोरम सरकार	4,680	4,320
19	एस2253 एजी (जनरल-1) महाराष्ट्र	30,120	30,120
20	एस2255 एजी ओडिशा एओ (सी)	25,710	15,710
21	एस2256 सीबीडीटी मुंबई एओ(ए)	40,710	15,710
22	एस2258 जामिया मिलिया इस्लामिया -रूबिना नुसरत	450	450
23	एस2259 एसवी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय तिरुपति - वाई वी रामा रेड्डी	612	300
24	एस2260 झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय - किरन जालेम	-	-1,21,248
25	एस2261 पीएओ एमओआरडी - एफए	20,120	20,120
26	एस2262 एसआईआरडी भुबनेश्वर	25,000	25,000
27	एस2264 जीएसटी सामान्य प्रेषण	4,14,132	2,21,330
28	एस2265 जीएसटी डीडीयूजीकेवाई प्रेषण	9,78,614	-
29	एस2274 डीडीओजीएडी	15,620	-
30	एस2275 पुराने चेक	73,41,268	73,41,268
31	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (ए7 को अंतरित)	9,550	4,17,679
	<b>कुल</b>	<b>1,22,42,241</b>	<b>1,03,14,158</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(एल8) अंतरण लेखा</b>		
1	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (ए11 से अंतरित)	1,89,55,189	17,88,65,720
	<b>कुल</b>	<b>1,89,55,189</b>	<b>17,88,65,720</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(एल8) परामर्शी अंतरण लेखा</b>		
1	परामर्शी - सामान्य निधि को अंतरण	4,16,658	4,16,658
2	जेड0029 - परामर्शी अंतरण लेखा	6,08,788	6,08,788
	<b>कुल</b>	<b>10,25,446</b>	<b>10,25,446</b>

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
<b>अनुसूची</b>	<b>(एल9) सहायता में अनुदान का अव्ययित शेष - ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>		
1	सामान्य	-	41,61,550
2	वेतन	-	-
3	ब्याज (ग्रामीण विकास मंत्रालय को भुगतान योग्य)	36,93,491	
	<b>कुल</b>	<b>36,93,491</b>	<b>41,61,550</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(ए4) चालू आस्तियां एवं अग्रिम</b>		
1	क्षे.का - एनईआरसी - उचंत	1,22,22,000	72,96,886
2	टी1009 अंतः शेष	48,81,581	79,14,343
3	टी1010 अर्जित आय	7,40,51,379	6,57,16,367
4	टी1012 पूर्व प्रदत्त व्यय	8,13,394	1,86,979
5	टी1136 उपलब्ध टी - स्टैम्प	86,500	35,996
6	टीडीएस प्राप्य - सी1901 नाबार्ड	66,970	-
7	अस्थगित व्यय - ई - आफिस रखरखाव	81,94,760	
	<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य</b>		
8	निक्षेप/मूल्यहास निधि - ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य	56,41,61,689	-
9	कॉर्पस फंड - (आईजीआर से मिला घाटा) - एमओआरडी से प्राप्य	44,12,66,569	-
10	कर्मचारी लाभ- बीमाकिक मूल्यांकन - ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य	2,50,00,70,246	-
11	प्राप्य के रूप में प्रदर्शित शेष (एल3 से अंतरित)	3,06,57,473	11,46,68,298
12	प्राप्य के रूप में प्रदर्शित शेष (एल6 से अंतरित)	6,23,329	14,05,684
	<b>कुल</b>	<b>3,63,70,95,890</b>	<b>19,72,24,553</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(ए4) सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा</b>		
1	एस2101-सीएफआईई	-	2,51,363
2	एस2123 आईसीएआर एनएआईपी कृषि - सी-गार्ड	-	3,65,603
3	एस2326 एसआरएस चेयर - रूरल लेबर	7,62,473	5,01,891
4	एस2405-एनआरएलएम संसाधन सेल	-	67,01,414
5	एस2528-एसआरटी - टेक का सृजन - मनरेगा	-	2,38,208
6	एस2540- एनजीएनआरईजीए-अप्रैल-2015-16 के तहत अध्ययन	-	69,352
7	एस0520 250 मॉडल जीपी क्लस्टर	58,74,286	-
8	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल6 से अंतरित)	-	-
	<b>कुल</b>	<b>66,36,759</b>	<b>81,27,831</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(ए4) ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी</b>		
1	कर्मचारियों को अग्रिम	39,30,300	39,30,300
2	एन0009 एन-मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्ति)	-1,17,448	3,335
3	पी0003 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियां)	18,44,612	24,91,295
4	एस0102 एस-अग्रदाय	2,10,570	1,10,570
5	एस0104 एस -वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम	1,92,000	2,94,300
	<b>एनईआरसी</b>		
6	एन0009 एन-मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्तियां) - एनईआरसी	-425	-
7	आरसी - विविध अग्रिम - एनईआरसी	-1,18,197	13,95,297
8	एस0003 एस-त्यौहार अग्रिम - एनईआरसी	1,71,000	-
9	एस0104 एस -वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम - एनईआरसी	3,07,924	49,475
10	विवाह ऋण	58,000	-
11	पी0003 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियां) - एनईआरसी	-37,380	-

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
	<b>दिल्ली</b>		
12	कर्मचारी ऋण	6,05,415	-
13	दिल्ली - सीपीडब्ल्यूडी - जमा	2,37,11,610	-
14	दिल्ली - जमा - अन्य	7,51,074	-
15	दिल्ली - ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य	1,31,42,616	-
16	दिल्ली - कर्मचारियों से प्राप्य	5,76,100	-
17	दिल्ली - कर्मचारियों को अग्रिम पर अर्जित ब्याज	29,930	-
18	डाक टिकट - फ्रैंकलिंग	1,506	-
19	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल6 को अंतरित)	2,73,450	-
	<b>कुल</b>	<b>4,55,32,657</b>	<b>82,74,572</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(ए5) जमा</b>		
1	एनईआरसी अतिथि गृह मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी जीएचवाई के पास जमा	55,61,198	55,61,198
2	एलडीओ नई दिल्ली के पास जमा	18,94,586	18,94,586
3	पी0016-टेलिफोन एवं अन्य जमा	4,88,675	4,88,675
4	टी1117- एपीएसईबी के पास जमा (आरआरएस 345)_	19,40,270	19,40,270
5	टी1118- ब्याज सहित अनुभाग जमा एपीएसईबी (आरआरएस 538)	5,09,200	5,09,200
6	टी1119-महा प्रबंधक टेलीफोन के पास जमा	3,74,496	3,74,496
7	टी1120-ए पी डी डी सी के पास जमा	6,240	6,240
8	टी1124-सपना उद्यम के पास जमा	7,200	7,200
9	टी1125- सीएच.एसपी, सीटीओ टेलीफोन कार्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद के पास जमा	10,000	10,000
10	टी1138 अन्य एजेन्सियों के पास जमा	9,70,500	9,70,500
11	टी1140-एपीसीपीडीसीएल के पास जमा (अरावली अतिथि गृह)	4,64,203	4,64,203
	<b>कुल</b>	<b>1,22,26,568</b>	<b>1,22,26,568</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(ए6) सावधि जमाओं में निवेश</b>		
	<b>सामान्य</b>		
1	एस0005 सावधि एवं लघु अवधि जमा लेखा खाता	1,74,55,20,742	1,52,45,52,272
2	एस2235 बीजी के विपरीत एस बी एच के पास सावधि जमा	6,16,000	6,16,000
	<b>कुल</b>	<b>1,74,61,36,742</b>	<b>1,52,51,68,272</b>
	<b>चिह्नित निधियां</b>		
1	भवन निधि - निवेश	18,07,68,902	52,80,43,710
2	भवन निधि - अर्जित आय	98,79,020	-
3	भवन निधि - एसबीआई - एनआईआरडी शाखा	1,00,835	1,07,934
4	भवन निधि - आंध्रा बैंक 125510100109584	4,36,931	4,25,190
5	भवन निधि सीएलटीडी	-	6,90,227
6	विकास निधि - निवेश	9,43,52,661	9,45,81,479
7	विकास निधि - अर्जित ब्याज	51,63,906	-
8	विकास एसबीआई-एनआईआरडी शाखा (खाता सं. 52040475255)	1,97,482	1,92,201
9	विकास निधि - आंध्रा बैंक 122510100109593	60,725	58,237
10	निक्षेप/मूल्यहास निधि - सावधि जमा निवेश	35,15,00,000	-
11	निक्षेप/मूल्यहास निधि - उपार्जित ब्याज	1,92,13,028	-

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
	<b>संचित निवेश</b>		
1	संचित निधि - निवेश	3,03,47,64,022	26,271,83,271
2	संचित निधि - अर्जित आय	1,54,57,374	-
3	संचित -एसबीआई-एनआईआरडी - 62112588084	7,89,53,545	50,42,718
	<b>कुल</b>	<b>3,79,08,48,431</b>	<b>3,25,63,24,966</b>
	<b>अन्य परियोजना - निवेश</b>		
1	डीडीयूजीकेवाई - निवेश	5,97,00,000	5,61,47,696
2	एसआरएससी - निवेश	9,95,00,000	9,36,09,185
3	सीएफआईई - निवेश	10,05,61,833	9,98,72,304
	<b>कुल</b>	<b>25,97,61,833</b>	<b>24,96,29,185</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(ए7) पारगमन लेखा</b>		
1	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल7 से अंतरित)	9,550	4,17,679
	<b>कुल</b>	<b>9,550</b>	<b>4,17,679</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(ए8) परामर्शी आस्तियां</b>		
1	अग्रिम - टीए/डीए - क्षे.का	3,05,221	4,00,221
2	सी0270-हितकारी निधि उचंत	22,352	22,727
3	सी0271-विकास निधि उचंत	-	34,693
4	सी-डैप-एपी-क्षे.का	-	902
5	ईएमडी-क्षे.का	96,300	96,300
6	विविध अग्रिम - क्षे.का	6,319	16,92,137
8	जेड0026-आय कर (ठेकेदार)	-	2,101
9	जेड0031- परामर्शी उपार्जित ब्याज	-	4,70,419
10	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल4 से अंतरित)	57,96,332	51,66,539
11	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल5 से अंतरित)	-	-
12	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल5 को अंतरित)	-	-
	<b>कुल</b>	<b>62,26,524</b>	<b>78,86,039</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(ए9) सामान्य लेखों का अंतःशेष</b>		
	<b>सामान्य लेखा शेष</b>		
10	सीएफआई -एसबीआई -एनआईआरडी (62094863681)	81,83,411	82,49,194
11	डीडीयू जीकेवाई -एसबीआई -एनआईआरडी शाखा (62431332037)	11,84,55,611	8,61,96,983
12	मनरेगा -एसबीआई -एनआईआरडी शाखा (खाता 62476174622)	5,12,586	18,01,044
13	एमकेएसवाई -एसबीआई -एनआईआरडी(62185305487)	92,76,113	87,52,743
14	एनआरएलएम -एसबीआई -एनआईआरडी शाखा (62431461891)	4,45,71,494	131
15	आरसेटी -आंध्रा बैंक (125510100098057)- राजेन्द्रनगर	3,51,338	27,839
16	एसबीआई- आरसेटी पीएफएमएस 9181 सीएलटीडी - 62094415164	3,32,88,406	11,46,21,577
17	एसबीआई एसबी खाता (62491365119)	7,09,72,887	13,90,50,953
18	एसबीआई एसबी खाता (52040475313)	23,94,90,768	74,52,88,723
19	सामान्य खाता आंध्रा बैंक 125510100109566	18,95,763	8,58,846
20	एसबीआई चालू खाता (52040475062)	2,18,65,715	1,04,84,984
21	एसबीआई-डीईसी पीजीडी एसआरडी (62114579633)	1,59,828	1,000
22	एसबीआई -एनआईआरडी डीईसी-पीजी सी-गार्ड (62350105231)	1,036	1,000

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च 2021 (रु.)	31 मार्च 2020 (रु.)
23	एसबीआई - एनआईआरडी पीजीडीआरडीएम (62052905893)	55,66,530	6,45,556
24	एसआरएसबी - एसबीआई - एनआईआरडी राजेन्द्रनगर (62221101177)	27,69,718	52,40,302
25	यूएनडब्ल्यू - एसबीआई यूएन महिला बैंक (62487461885)	30,041	29,237
26	एनआईआरडीपीआर कार्य अनुसंधान - एसबीआई - पीएफएमएस 796 - 38831856272	10,332	10,057
27	एनआईआरडीपीआर जीआईए - एसबीआई - पीएफएमएस 3825 - 38831858496	10,72,55,522	10,057
28	एनआईआरडीपीआर पीएमजीएसवाई - एसबीआई - पीएफएमएस 9179 - 38831859885	10,332	10,057
29	एनआईआरडीपीआर आरजीएसए - एसबीआई - पीएफएमएस 3617 - 38831861328	7,89,28,368	10,057
30	एनआईआरडीपीआर प्रायोजित परियोजनाएं - 39192410848	10,942	-
	<b>एनईआरसी - गुवाहाटी</b>		
31	पीएनबी-एनईआरसी(सीए - 1907012100000012)	38,23,247	1,06,35,805
32	पीएनबी-एनईआरसी (एसबी - 1907012100000373)	1,15,46,683	1,89,51,215
33	पीएनबी-एनईआरसी - नकद	-	6,029
	<b>दिल्ली</b>		
34	दिल्ली - ईपीएफ	546	-
35	दिल्ली - सामान्य	1,25,91,583	-
36	एफसीआरए - आईओबी 27100	35,92,014	-
37	पीएमआरडीएफ- सीबीआई- 3341604957	65,11,084	-
38	कपार्ट को सहायता	12,92,356	-
	<b>कुल</b>	<b>7829,64,254</b>	<b>1,15,08,83,385</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(ए10) अंतःशेष परामर्शी लेखा</b>		
	<b>हैदराबाद</b>		
1	एसबीआई-एनआईआरडी(52040475346) - परामर्शी	19,38,781	7,41,896
2	परामर्शी आन्ध्र बैंक खाता 125510100109609	37,944	37,000
	<b>एनईआरसी- गुवाहाटी</b>		
3	परामर्शी - एनआरएलएम आरसी-एनईआरसी	85,71,286	1,66,17,217
4	पीएनबी-गुवाहाटी-एनईआरसी	2,51,76,313	3,47,97,940
5	नकद -एनईआरसी	-	11,450
	<b>कुल</b>	<b>3,57,24,324</b>	<b>5,22,05,501</b>
<b>अनुसूची</b>	<b>(ए11) अंतरण लेखा</b>		
1	एस0008 एस-मुख्यालय और गुवाहाटी के बीच अंतरण	-	-
2	एस0009 एस- सामान्य खाता एवं परामर्शी खाते के बीच अंतरण	10,00,000	10,00,000
3	एस0030 सामान्य खाता एवं अन्य खातों के बीच अंतरण	3,000	-
4	एस-सामान्य खाता एवं चिकित्सा संचित निधि के बीच अंतरण	15,37,016	-
5	एस0066 एस- बचत बैंक खाते से सामान्य खाते के बीच अंतरण	-	1,16,29,022
6	एस2216 सीएलटीडी से सामान्य खाते के बीच अंतरण	-26,89,000	-16,54,76,332
7	एस2508- सामान्य खाता एवं आजीविका कौशल के बीच अंतरण	-	493
8	टी1116- भवन खाते के लिए अंतरण	3,26,93,583	3,26,93,583
9	313 से भुगतान बचत 5119 के बीच अंतरण	-	-1,15,89,022
10	एलसीबी एनआईपी (708) को एसबी खाता 313 में अंतरण	-	-18,00,366
11	डीडीयू जीकेवाई 531 खोते से एसबी 313 खाते के बीच अंतरण	-1,62,66,189	93,76,897
12	सामान्य एवं संचित के बीच अंतरण	19,955	-
12	देयता के रूप में प्रदर्शित शेष (एल8 को अंतरित)	1,89,55,189	1788,65,720
	<b>कुल</b>	<b>3,52,53,554</b>	<b>5,46,99,995</b>

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए हितकारी निधि की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा


31 मार्च 2020 को रू.	प्राप्तियाँ	31 मार्च 2021 को रू.
25,26,048	प्रारंभिक शेष - बैंक	28,52,819
0	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	0
0	परामर्शी एसबी खाते पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - क्षे.का	0
4,75,31,341	सावधि जमाओं में निवेश (परिपक्व)	5,09,39,311
34,07,970	निवेशों पर ब्याज	30,48,112
31,741	कर्मचारियों से अंशदान - एनआईआरडी	2,68,987
17,850	कर्मचारियों से अंशदान - एनईआरसी	18,980
8,49,244	विवाह ऋणों की वसूली	8,26,039
1,81,163	शिक्षा ऋणों की वसूली	1,14,807
86,295	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	81,358
60,478	एसबी खाते पर ब्याज	51,741
<b>5,46,92,130</b>	<b>कुल</b>	<b>5,82,02,154</b>
<b>भुगतान</b>		
8,00,000	विवाह ऋण	0
5,09,39,311	सावधि जमाओं में निवेश	0
75,000	उच्चतर शिक्षा ऋण	25,000
25,000	मृतक कर्मचारियों के निराश्रित परिवार को सहायता	25,000
0	विवाह ऋण	16,00,000
0	सावधि जमा में निवेश	5,58,00,000
0	बैंक प्रभार	0
28,52,819	अंतःशेष - बैंक	7,52,154
<b>5,46,92,130</b>	<b>कुल</b>	<b>5,82,02,154</b>

शशि भूषण  
शशि भूषण)  
वित्तीय सलाहकार

## राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

## वर्ष 2020-21 के लिए हितकारी निधि की आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2020 को रू.	आय	31 मार्च 2021 को रू.
1,30,225	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	2,94,039
1,18,720	परामर्शी एसबी खाते पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - क्षे.का और मुख्यालय	26,318
13,581	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% प्राप्त ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	-1,17,605
31,741	कर्मचारियों से अंशदान - मुख्यालय	2,68,987
17,850	कर्मचारियों से अंशदान - एनईआरसी	18,980
86,295	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	81,358
23,14,606	निवेशों पर ब्याज	21,39,202
9,08,910	प्राप्त ब्याज	8,28,004
60,478	एसबी खाते पर ब्याज	51,741
-	अन्य प्राप्तियां	-
<b>36,82,405</b>	<b>कुल</b>	<b>35,91,024</b>
<b>व्यय</b>		
25,000	मृतक कर्मचारियों के निराश्रित परिवार को सहायता	25,000
1,80,235	विविध व्यय	-
-	बैंक प्रभार	-
34,77,170	व्यय पर आय की अधिकता को तुलन पत्र में ले जाया गया	35,66,024
<b>36,82,405</b>	<b>कुल</b>	<b>35,91,024</b>

  
 (शशि भूषण)  
 वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2021 को हितकारी निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2020 को रू.	देयताएं		31 मार्च 2021 को रू.
5,41,58,242	पूंजीगत निधि - प्रारंभिक शेष	5,76,35,412	
34,77,170	जोड़े : तुलन पत्र में लेजाया गया व्यय पर आय की अधिकता	35,66,024	
5,76,35,412			6,12,01,436
<b>5,76,35,412</b>	<b>कुल</b>		<b>6,12,01,436</b>
आस्तियां			
5,09,39,311	सावधि जमा में निवेश		5,58,00,000
9,08,910	प्राप्त ब्याज		8,28,004
7,30,851	परामर्शी निवेशों पर 25% प्राप्त ब्याज का अंतरण - मुख्यालय		9,33,603
22,03,521	कर्मचारियों को अग्रिम		28,87,675
28,52,820	अंतःशेष - बैंक		7,52,154
<b>5,76,35,412</b>	<b>कुल</b>		<b>6,12,01,436</b>

शशि भूषण

(शशि भूषण)  
वित्तीय सलाहकार

जी नरेन्द्र कुमार

(जी नरेन्द्र कुमार)  
महानिदेशक

## राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

## 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2020 को रू.	प्राप्तियाँ	31st मार्च 2021 को रू.
36,08,238	प्रारंभिक शेष - बैंक	2,05,18,520
71,37,319	अंशदान / अग्रिम वसूली (एनईआरसी)	67,05,070
4,99,56,507	अंशदान / अग्रिम वसूली (मुख्यालय)	3,97,21,138
70,51,815	प्रबंधन का योगदान	1,16,01,494
-	दिल्ली - सीपीएफ	17,59,24,160
1,38,23,176	निवेशों पर ब्याज	76,39,395
-	दिल्ली - अर्जित ब्याज	65,04,518
5,94,873	एसबी खाते पर ब्याज	6,11,426
29,40,68,721	सावधि जमाओं का नकदीकरण	23,56,13,106
25,00,000	सामान्य खाता से भविष्य निधि खाते का अंतरण	1,000
<b>37,87,40,649</b>	<b>कुल</b>	<b>50,48,39,827</b>
<b>भुगतान</b>		
3,49,14,019	जीपीएफ	4,50,66,451
60,000	सीपीएफ	2,42,25,388
1,56,56,780	नई पेंशन योजना	1,93,94,193
<b>5,06,30,799</b>		<b>8,86,86,032</b>
30,09,00,000	निवेश	31,20,52,838
13,529	बैंक प्रभार	-
-	दिल्ली - अर्जित ब्याज	65,04,518
66,77,801	भविष्य निधि खाते से सामान्य खाते को अंतरण	-
-	दिल्ली सीपीएफ अग्रिम	2,07,625
-	दिल्ली सीपीएफ परिशोधन	6,40,688
-	दिल्ली कर्मचारियों से प्राप्य	2,55,578
2,05,18,520	अंतःशेष - बैंक	9,64,92,548
<b>37,87,40,649</b>	<b>कुल</b>	<b>50,48,39,827</b>

शशि भूषण

 (शशि भूषण)  
 वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2020 को रु.	आय		31 मार्च 2021 को रु.
82,44,404	निवेशों पर ब्याज		68,73,195
7,66,200	प्राप्त ब्याज		95,10,953
5,94,873	एसबी खाते पर ब्याज		6,11,426
0	आय पर व्यय की अधिक		0
<b>96,05,477</b>	<b>कुल</b>		<b>1,69,95,574</b>
व्यय			
74,92,313	जीपीएफ में जमा किया गया ब्याज (मुख्यालय एवं क्षे.का)		20,64,217
9,82,934	सीपीएफ में जमा किया गया ब्याज (स्वयं का अंशदान)		60,77,329
0	सीपीएफ में जमा किया गया ब्याज (संस्थागत अंशदान)		34,03,801
0	एनपीएस टी-1 में जमा किया गया ब्याज (स्वयं का अंशदान)		0
0	एनपीएस टी-1 में जमा किया गया ब्याज (संस्थागत अंशदान)		0
13,529	बैंक प्रभार		0
11,16,701	व्यय पर आय की अधिकता		54,50,227
<b>96,05,477</b>	<b>कुल</b>		<b>1,69,95,574</b>

शशि भूषण  
(शशि भूषण)  
वित्तीय सलाहकार

## राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

## 31 मार्च 2021 को भविष्य निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2020 को रु.	देयताएं		31 मार्च 2021 को रु.
	भविष्य निधि की शेष राशि		
11,58,50,902	जीपीएफ		10,72,76,617
67,84,770	सीपीएफ		16,56,12,277
3,59,35,651	प्रबंध अंशदान		4,19,51,406
29,77,367	नई पेंशन योजना - टायर-1 (एनईआरसी)		35,19,567
0	प्रबंध अंशदान एनपीएस- टायर - 1		0
3,36,58,303	अधिशेष - ओ बी	3,47,75,004	
11,16,702	जोड़ें : व्यय पर आय की अधिकता / हानि	54,50,227	
0	घटाएं : सामान्य निधि को अंतरण समाप्ति	29,09,154	3,73,16,077
5,01,515	विविध लेनदार		5,01,514
0	सामान्य निधि में अंतरण		1,000
<b>19,68,25,209</b>	<b>कुल</b>		<b>35,61,78,458</b>
<b>आस्तियां</b>			
17,26,31,334	निवेश		24,90,71,066
7,66,200	प्राप्त आय		95,10,953
0	दिल्ली सीपीएफ अग्रिम		2,07,625
0	दिल्ली सीपीएफ क्रमिक अपाकरण		6,40,688
0	दिल्ली- कर्मचारियों से प्राप्य		2,55,578
29,09,154	सामान्य खाते से भविष्य निधि खाते में अंतरण		0
2,05,18,520	बैंक में नकद		9,64,92,548
<b>19,68,25,208</b>	<b>कुल</b>		<b>35,61,78,458</b>

शशि भूषण

 (शशि भूषण)  
 वित्तीय सलाहकार



 (जी नरेन्द्र कुमार)  
 महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए चिकित्सा संचित निधि की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2020 को रू.	प्राप्तियाँ	31 मार्च 2021 को रू.
51,55,529	प्रारंभिक बैंक शेष	74,99,282
22,04,270	सावधि जमा में निवेश (परिपक्व)	61,84,094
1,54,203	निवेशों पर ब्याज	5,16,413
32,87,600	पेंशनरों से अंशदान	36,88,964
58,600	कर्मचारियों से अंशदान	8,40,350
1,77,279	एसबी खाते पर ब्याज	1,60,323
<b>1,10,37,481</b>	<b>कुल</b>	<b>1,88,89,426</b>
<b>भुगतान</b>		
11,79,726	चिकित्सा व्यय - सदस्य	14,01,635
23,58,473	निवेश	1,50,00,000
0	बैंक प्रभार	0
74,99,282	बैंक अंतःशेष	24,87,791
<b>1,10,37,481</b>	<b>कुल</b>	<b>1,88,89,426</b>

शशि भूषण  
(शशि भूषण)  
वित्तीय सलाहकार

## राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

## वर्ष 2020-21 के लिए चिकित्सा संचित निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2020 को रू.	आय	31 मार्च 2021 को रू.
2,37,737	निवेश पर ब्याज	3,53,935
32,87,600	पेंशन भोगियों से अंशदान	37,18,964
58,600	कर्मचारियों से अंशदान	8,40,350
3,32,440	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	2,89,364
1,77,279	एसबी खाते पर ब्याज	1,60,323
<b>40,93,656</b>	<b>कुल</b>	<b>53,62,936</b>
<b>व्यय</b>		
11,79,726	चिकित्सा व्यय - सदस्य	29,68,651
0	बैंक प्रभार	0
29,13,930	व्यय पर आय की अधिकता	23,94,285
<b>40,93,656</b>	<b>कुल</b>	<b>53,62,936</b>

(शशि भूषण)  
 वित्तीय सलाहकार

**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**  
**31 मार्च 2021 को चिकित्सा संचित निधि का तुलन पत्र**

31 मार्च 2020 को रू.	देयताएं	31 मार्च 2021 को रू.
1,34,60,359	एनआईआरडी चिकित्सा संचित निधि :	1,63,74,289
29,13,930	जोडे : व्यय पर आय की अधिकता	23,94,285
<b>1,63,74,289</b>		<b>1,87,68,574</b>
<b>0</b>	एनआईआरडीपीआर सामान्य खाते में देय	15,37,016
<b>1,63,74,289</b>	<b>कुल</b>	<b>2,03,05,590</b>
	<b>आस्तियां</b>	
85,42,567	निवेश	1,75,28,435
3,32,440	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	2,89,364
74,99,282	बैंक अंतःशेष	24,87,791
<b>1,63,74,289</b>	<b>कुल</b>	<b>2,03,05,590</b>

शशि भूषण  
(शशि भूषण)  
वित्तीय सलाहकार

जी नरेन्द्र कुमार  
(जी नरेन्द्र कुमार)  
महानिदेशक

## राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

### 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची - 23 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और

अनुसूची - 24 आकस्मिक देयतायें और लेखों पर टिप्पणियाँ

अनुसूची - 23 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

#### 1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ:

क) लेखाकरण करार

इन वित्तीय जानकारियों को ऐतिहासिक लागत करार एवं लेखाकरण की संग्रहण पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

ख) संस्थान का लेखा

संस्थान निम्नलिखित लेखों का रखरखाव करता है :

- i) एनआईआरडी एवं पीआर लेखा
- ii) हितकारी निधि लेखा
- iii) भविष्य निधि लेखा
- iv) एनआईआरडीपीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा

संस्थान के वित्तीय उप-नियमों में निर्दिष्ट किए अनुसार संस्थान के लेखा को महानिदेशक द्वारा संकलित तैयार किया जाना होता है जिनमें निम्नलिखित तीन जानकारियों को दर्शाया जाना होता है और इस तरह संकलित वार्षिक लेखा को संस्थान के लेखापरीक्षकों के सम्मुख 30 जून से पहले लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत की जाती है :

- i) प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा
- ii) आय एवं व्यय लेखा
- iii) तुलन पत्र

लेखों की लेखापरीक्षा को नियंत्रक एवं भारत के महालेखापरीक्षक को भेजा जाता है।

#### 2. सरकारी अनुदान:

संस्थान का निधिपोषण, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान से होता है। सहायता अनुदान (सामान्य एवं वेतन) की गणना संग्रहण आधार पर की जाती है। वर्ष की समाप्ति पर पूंजीगत अनुदान की राशि को उपयोग में लाया जाता है और उसे पूंजीगत निधि को अंतरित किया जाता है। उपयोग में न लाए गए शेष ऐसे अनुदान बकाया को तुलन पत्र-के अंतर्गत देयतायें में अनुदानों के अंतः शेष में दर्शाया जाता है। सामान्य एवं वेतन के अंतर्गत विशिष्ट रूप से प्राप्त निधियों की गणना पृथक रूप से की जा रही है।

### 3. आस्तियों का मूल्यांकन:

सावधि जमा आस्तियों का मूल्यांकन वर्ष के अंत में दर्शाए गए निवल ह्रास और लागत पर किया जाता है।

### 4. मूल्यहास:

भारत सरकार, (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के लिए लेखों के सामान्य फार्मेट के अनुसार संपत्तियों के मूल्यों पर मूल्यहास उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार और संस्थान के कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर अधिनियम में निर्धारित दरों पर रीटन डाऊन वैल्यु मेथड पर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संपत्तियों के मूल्य पर मूल्यहास के 100% लागू दर प्रदान की जाती है।

वर्ष के दौरान अर्जित संपत्तियों के लिए लागू दर के अनुसार प्राप्त की गई संपत्ति के लिए पूर्ण मूल्यहास प्रदान की जाती है और 6 महीने से अधिक और छह महीने से कम अवधि के लिए मूल्यहास की लागू दर का 50% से अधिक उपयोग किया जाता है। परिसंपत्तियों को मूल्यहास अवधि के अंत में 1 रूपए के सामान्य मूल्य पर दर्शाया गया है। परिसंपत्तियों की लागत रू. 5,000 या इससे कम लागत वाली परिसंपत्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती हैं (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर)।

5. दवाईयां, लेखन सामग्री, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल्स के अंतः स्टॉक को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
6. संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और प्रकाशनों के अंतः स्टॉक को लागत या बिक्री मूल्य जो भी कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है।
7. नकद आधार पर परियोजना लेखों की गणना की जाती है।
8. **सेवानिवृत्ति लाभ** : कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति लाभ जैसे - पेन्शन, ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण का भुगतान वास्तविक आधार पर किया गया है। (कृपया नोट सं. 16 (सी) एवं (डी) भी देखें)।
9. **वित्तीय प्रबंधन** : संस्थान के वित्त प्रबंध एवं नियंत्रण को सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा रहा है।
10. संस्थान के वित्तीय उप-नियम में बजट, निवेश नीतियां लेखा और लेखा परीक्षा इत्यादि सहित विभिन्न वित्तीय एवं लेखाकरण पहलुओं के लिए कार्य पद्धति को निर्धारित किया गया है जिसका संस्थान अनुपालन कर रहा है।
11. **आयकर**: संस्थान को आयकर अधिनियम की धारा 12 ए ए के अंतर्गत 01.04.2007 से छूट दी गई है कृपया आयकर निदेशक, हैदराबाद के आदेश (छूट), सं. डीआईटी(ई)/12ए/हैदरा/21(04)/07-08 दिनांक 20.09.2007 का अवलोकन करें। उसी प्रकार एनआईआरडी को 01.04.2009 से 31.03.2011 तक को किए गए अंशदान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) (vi) के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई। कृपया आयकर (छूट) के निदेशक हैदराबाद, के आदेश सं. डीआईटी(ई)/हैदरा/80जी/17 (06)/09-10 दिनांक 17.07.2009 का अवलोकन करें। धारा 80 जी (5) (vi) के अंतर्गत छूट को अगले आदेशों की प्राप्ति तक बढ़ाया गया है। कृपया आदेश सं. डीआईटी(ई)/हैदरा/80जी/20(05)11-12 दिनांक 26.08.2011 के अंतर्गत छूट दी गई है।
12. विकास निधि, भवन निधि एवं संचित निधि के लेखा को "चिन्हित निधियों" के अंतर्गत गणना की गई है आगे, पेन्शन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के लिए एफसीआरए, पीएम आरडीएफ देयताओं और बीमाकंक प्रावधानों को भी "चिन्हित निधियों" के अंतर्गत गणना की गई है तथा इन निधियों के प्रत्येक बकाया को तुलन पत्र में देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 3 "चिन्हित निधियों" के अंतर्गत दर्शाया गया है।

इसके फलस्वरूप संबंधित निधियों की प्राप्ति एवं भुगतान को संबंधित निधियों के द्वारा ही दिया जा रहा है तथा इसे एनआईआरडीपीआर के आय एवं व्यय लेखा के द्वारा नहीं दिया जाएगा ।

उपरोक्त तीन निधियों में से जहाँ कहीं भी सावधि संपत्तियाँ अर्जित की गई है उन्हें एनआईआरडीपीआर के तुलन पत्र अनुसूची 5 "सावधि परसंपत्तियों" के अंतर्गत दर्शाया गया है । अतः इस पर मूल्यहास को एनआईआरडीपीआर के आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया गया है । कृपया लेखों पर टिप्पणी 16 (एस) देखें

13. सहायता अनुदान को केन्द्र सरकार द्वारा "वेतन एवं सामान्य" के अंतर्गत जारी किया गया है। इसलिए आय एवं व्यय लेखा तदनुसार तैयार किया गया है ।
14. दिनांक 01-07-2020 से कार्यान्वयन हेतु वित्त और लेखा नियमावली को अनुमोदित किया गया है ।
15. वित्त और लेखा मैनुअल में नये लेखा कोड्स को अधिसूचित किया गया है । यद्यपि, क्रियान्वयन तारीख 01-07-2021 है। जानकारी को तैयार करने की दो अवधियों अर्थात् पुराने लेखा कोड्स के अनुसार प्रथम क्वार्टर और नये लेखा कोड्स के अनुसार 2 से 4 क्वार्टर की समाप्त करने के लिए वित्तीय जानकारियों को तैयार करने के लिए पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नये लेखा कोड्स को अपनाया गया है । इससे सभी समूहों के और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बाहिखातों में अव्यवहार्यता होगी ।

### अनुसूची 24 आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणियां

#### 16. लेखा टिप्पणियां

- क. सामान्य लेखा में संख्या - आय एवं व्यय लेखा एवं तुलन पत्र में एनआईआरडीपीआर को समग्र रूप से दर्शाया गया है (एन ई आर सी, गुवाहाटी सहित)। संस्थान प्रायोजक एजेन्सी के साथ महानिदेशक द्वारा सहमत शर्तों और नियमों पर परामर्शी, परामर्शी कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन, परियोजनाओं इत्यादि को प्रारंभ करता है । संस्थान प्रायोजक एजेन्सी से शुल्क की वसूली करता है - ऐसे कार्यक्रमों/परियोजनाओं की लागत के प्रति शुल्क एवं ऐसे परामर्शी कार्यों पर व्यय को उसी में से किया जाएगा ।
- ख. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न लेखों की निवेशों की जानकारी के सत्यापन हेतु संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा।
- ग. पूर्व में एनआईआरडीपीआर एक प्रमाणित बीमांकक के माध्यम से बीमांकिक मूल्यांकन की व्यवस्था करवा रहा था । चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निधियों स्वीकृत नहीं किया गया था और देयता को तुलन-पत्र में देयताओं के तहत निर्धारित निधि में नहीं लिया गया था और इसे लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया गया । हालांकि एनआईआरडीपीआर के साथ पूर्ववर्ती कर्पाट विलय के बाद पूर्ववर्ती कर्पाट खातों की समीक्षा पर यह देखा गया है कि पूर्व कर्पाट कार्यालय भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत सीएबी था, यह आय और व्यय खाते के तहत व्यय के माध्यम से बीमांकिक मूल्यांकन के लिए निधियों को प्रभारित कर बीमांकिक मूल्यांकन देयता को सृजित कर सकता था ।

पूर्ववर्ती कर्पाट के रूप में जो एमओआरडी के तहत एक सीएबी भी था, विलय के बाद दिनांक 01-05-2020 से एनआईआरडीपीआर का हिस्सा बन गया । एमओआरडी ने पूर्ववर्ती कर्पाट के लिए बीमांकिक मूल्यांकन देयता बनाने की अनुमति दी, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि एनआईआरडीपीआर भी एमओआरडी के तहत एक सीएबी है ऐसा नहीं कर सका । पूरे संगठन में बीमांकिक के संबंध में एक रूपता प्राप्त करने की दृष्टि से पूरे संगठन के लिए बीमांकिक मूल्यांकन देयता को शामिल किया गया है । प्रक्रिया के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के लिए निधियों को आय और व्यय खाते के तहत व्यय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए । फिर भी, बीमांकिक मूल्यांकन की निर्धारित देयता वर्ष 2020-21

के दौरान लेखों में तैयार की गई थी लेकिन बीमांकिक मूल्यांकन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की पिछली सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के लिए है इसलिए 31-03-2020 को बीमांकिक मूल्यांकन देयता को पूर्वावधि व्यय के रूप में लिया गया है और केवल वृद्धित बीमांकिक देयता अर्थात् 31-03-2020 बनाम 31-03-2020 को आय के तहत चालू वर्ष के लिए व्यय में प्रभारित किया गया है। परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2020-21 के लिए व्यय और आय भी बीमांकिक मूल्यांकन देयता से बढ़ गई। आय और व्यय लेखा के अंतर्गत आय अनुसूची 8, 10 ग्रामीण विकास मंत्रालय से सहायता अनुदान में ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य जी आई ए शामिल है जो सेवानिवृत्ति लाभ के लिए आवश्यक प्रावधान के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए रू. 249.99 करोड़ है।

- घ.** वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एक प्रमाणित बीमांकिक के माध्यम से सेवानिवृत्ति लाभ यानी ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया था। 31 मार्च, 2021 को अनुमानित देयता रूपये 262.49 करोड़ की राशि थी। (ग्रेच्युटी 24.32 करोड़ रूपये, मौजूदा पेंशन 120.97 करोड़ रूपये, मौजूदा कर्मचारियों को पेंशन 97.54 करोड़ रूपये और छुट्टी नकदीकरण 19.66 करोड़ रूपये)। दिल्ली केन्द्र से संबंधित देनदारी वार्षिक खातों में 12.50 करोड़ रूपये (शुद्धा राशि) प्रदान की गई है। इसलिए, मंत्रालय से रू. 249.99 करोड़ निवल देयता प्राप्त होने बाकी है, इसे तुलन पत्र अनुसूची - ए4 चालू संपत्ति और अग्रिम के तहत प्राप्य के रूप में पहचान की गई है।
- ङ.** जीएफआर 2017 नियम संख्या 230 (12) (ii) के लिए एक संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि "अनुदानदाता संस्थानों या संगठनों को अपने या सरकारी खाते पर देयता लेने के बजाय कर्मचारियों के लिए बाजार में उपलब्ध पेंशन या ग्रेच्युटी योजनाओं या समूह बीमा योजनाओं या गृह भवन ऋण या वाहन ऋण का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चूंकि संस्थान को मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, इसकी सभी गतिविधियों के लिए मंत्रालय से सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के वित्त पोषण के लिए अलग से अनुदान जारी करने का अनुरोध किया गया था। उसी के जवाब की प्रतीक्षा है।
- च.** राजपत्र अधिसूचना दिनांक 13-04-2020, कपार्ट, नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वागत निकाय को भंग कर दिया गया है और 01-05-2020 से एनआईआरडीपीआर के साथ विलय कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी, स्वीकृत स्टॉफ, पूर्ववर्ती कपार्ट की सभी संपत्ति और देनदारियों को एनआईआरडीपीआर को स्थानांतरित कर दी गई है।
- छ.** पूर्ववर्ती कपार्ट, नई दिल्ली को एनआईआरडीपीआर के दिल्ली केन्द्र के रूप में नामित किया गया है। पूर्ववर्ती कपार्ट के अप्रैल, 2020 के वार्षिक खातों के 30-04-2020 को ट्रायल शेष के आंकड़ों के अनुसार 01-05-2020 को प्रारंभिक शेष राशि को एचओ और एनईआरसी के आंकड़ों के साथ एकीकृत किया गया है और वार्षिक लेखों में प्रदर्शित किया गया है। तत्कालीन कपार्ट लेखों की पुस्तकों के अनुसार अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की गणना 01-04-2020 से 30-04-2020 के लिए की गई थी। इसलिए, एनआईआरडीपीआर वार्षिक लेखा 2020-21 में, पूर्ववर्ती कपार्ट अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की गणना 11 महीने के लिए की गई है।
- ज.** 30-04-2020 को तत्कालीन कपार्ट तुलन-पत्र में, देयताओं के तहत अनुसूची - 3 बी प्रावधान, कमांक ए से डी में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के प्रावधान है। छुट्टी के लिए प्रावधान नकदीकरण रू. 6,07,73,886 और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान रू. 7,00,27,562 एनआईआरडीपीआर के साथ विलय के बाद पूर्ववर्ती कपार्ट ने बीमांकिक मूल्यांकन और बकाया देनदारियों के लिए एनआईआरडीपीआर मुख्यालय को रू. 13,60,05,190.00 हस्तांतरित किया है, अर्थात् सीपीएफ नियोक्त शेयर के लिए प्रावधान रू. 2,55,578 और बकाया देनदारियां जैसे, देय व्यय - वेतन और व्यवस्थापक व्यय 52,79,169 रूपये 30-04-2020 को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली केन्द्र के

बीमांकिक मूल्यांकन को 31-03-2021 को एनआईआरडीपीआर के बीमांकिक मूल्यांकन के साथ विलय कर दिया गया है और अनुसूची-3 निर्धारित निधि के तहत दिखाया गया है। एनआईआरडीपीआर बीमांकिक व्यय को 12.50 करोड़ रूपये तक कम कर दिया गया है, जिसका पहले से ही कपार्ट द्वारा गणना की जा चुकी है।

- झ.** पूर्ववर्ती कपार्ट के लेखाकरण मुद्दें : एनआईआरडीपीआर वित्तीय विवरणों के साथ एकीकरण के लिए 30-04-2020 को पूर्ववर्ती कपार्ट के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई। लेखाकरण पद्धतियों में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव देखें गए :
1. उपयोगिता प्रमाण पत्र आय और व्यय खाते के बजाय प्राप्तियों और भुगतान खाते के आधार पर तैयार किया गया था। चूंकि सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) को प्रोद्भवन लेखों का पालन करना अनिवार्य है, उपयोगिता प्रमाण पत्र आय और व्यय खाते के अनुसार व्यय पर आधारित होना चाहिए।
  2. सहायता अनुदान (राजस्व) की प्राप्तियां पूरी तरह से आय और व्यय खाते के तहत आय में ली जाती है। जबकि, आय और व्यय के तहत आय में केवल मिलान अनुदान (जीआईए) और व्यय को ही लिया जाना चाहिए। जीआईए के किसी भी अव्ययित शेष को चालू देयताओं के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित किया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती कपार्ट की इस पद्धति के कारण, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल सहायता अनुदान को आय और व्यय खाते के तहत आय के रूप में लिया गया।
  3. पूर्ववर्ती कपार्ट को पिछले कुछ वर्षों के लिए जीआईए प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण उन्होंने उस अवधि के दौरान अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए पूंजी का उपयोग किया था। बाद के वर्षों में, जीआईए की प्राप्ति के बाद, वित्तीय वर्ष के अंत में जीआईए के अव्ययित शेष को पूंजी खाते में पिछले संचित घाटे की भरपाई के लिए पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी तरह, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 720.50 लाख रूपये के जीआईए की अव्ययित शेष राशि को पूंजी लेखा के पिछले संचित उपयोग की भरपाई के लिए पूंजी लेखा में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए, मौजूदा देनदारियों के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाने के लिए पूर्ववर्ती कपार्ट के जीआईए का कोई अव्ययित शेष नहीं है। इसलिए, 30-04-2020 को जीआईए का कोई अव्ययित शेष उपलब्ध नहीं था, जिसे 01-05-2020 को विलय के बाद पूर्ववर्ती कपार्ट द्वारा एनआईआरडीपीआर में स्थानांतरित किया जाना था।
- ट.** 30-04-2020 को पूर्ववर्ती कपार्ट के तुलन-पत्र के आंकड़े को एनआईआरडीपीआर तुलन-पत्र के आंकड़ों के साथ एकीकरण कर लिए गए थे। तत्पश्चात, एनआईआरडीपीआर के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए 31-03-2021 को दिल्ली केन्द्र के ट्रायल शेष के आधार पर 01-05-2020 से 31-03-2021 की अवधि के लेनदेन पोस्ट किए गए हैं।
- ठ.** एनआईआरडीपीआर तुलन-पत्र में अनुसूची - 1 कॉर्पस/पूंजी निधि, पूंजी निधि-सामान्य और पूंजी निधि - आरटीपी (वार्षिक लेखा 2019-20 में) विलय कर दिया गया है क्योंकि आरटीपी एनआईआरडीपीआर का एक अभिन्न अंग है न कि एक अलग निकाय / फंड / परियोजना और इसे कैपिटल फंड - सामान्य वार्षिक लेखा 2020-21 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
- ड.** एमओआरडी द्वारा प्रायोजित आरसेटी परियोजना 2008 में शुरू की गई थी। एमओआरडी नियत प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पूरे भारत में आरसेटी को हस्तांतरण के लिए एनआईआरडीपीआर को अनुदान जारी करता है। आरसेटी परियोजना के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा एक सीए फर्म द्वारा आरसेटी परियोजना की स्थापना के बाद से 31-03-2020 तक आयोजित की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने बहीखातों और आंकड़ों के कई मिलानों को इंगित किया और उन्हें 2020-21 के दौरान शामिल किया गया।

## ढ आकस्मिक देयताएं

विवरण	2020-21	2019-20
एच 6 तिमाही नवीनीकरण सिविल वर्क्स	11,13,029	11,13,029
एच 6 तिमाही नवीनीकरण विद्युत कार्य	4,31,431	4,31,431
<b>कुल आकस्मिक देयताएं</b>	<b>15,44,460</b>	<b>15,44,460</b>

आवास सं. एच-6 का नवीनीकरण किया गया था और कार्य और भुगतान 2018-2020 में फैले हुए थे। कई वर्षों में फैले होने के कारण, पूंजीगत प्रकृति के व्यय की बुकिंग को कुछ वित्तीय वर्ष में गलत वर्गीकृत किया गया था। प्रारंभ में 2018-19 के दौरान, 10,98,294 रुपये को एसएच.5 अचल संपत्तियों में कार्य प्रगति के रूप में प्रदर्शित किया गया था। नवीनीकरण पर कुल 48,38,925/- रुपये का भुगतान किया गया। रुपये की राशि। 6,70,643/- जो पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया गया था और WIP रु.10,98,294 कुल रु. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एसएच.5 अचल संपत्तियों में भवनों के तहत 17,68,937/- रुपये का पूंजीकरण किया गया है। रु.17,68,937/- पर भवन स्लैब दरों के अनुसार मूल्यहास लागू किया गया है। सिविल कार्यों के लिए रु.11,13,029/- की शेष राशि और एच6 तिमाहियों में विद्युतीकरण कार्य के लिए रु.4,31,431/- विचाराधीन हैं।

संगठन ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहां कहीं भी आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किए हैं और अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू हो, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। संगठन को यह उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का उसके वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

**ण.** जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, खाता कोड संख्या को खाता-नाम में प्रि-फिक्स किया गया है ताकि टैली खातों में मदों की शिनाख्त आसानी से हो सके ।

**त.** जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, अनुसूचियों/खातों को रीग्रुप/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि टैली विवरणों में मदों की शिनाख्त आसानी से की जा सके । जहां कहीं आवश्यक हो पूर्व वर्षों के आंकड़ों को तदनुसार पुनः समूहबद्ध किया गया है । आंकड़ों को निकटतम रूपों में मिला दिया गया है ।

**थ.** आय एवं व्यय लेखा-अनुसूची-9 से 13 : प्राप्तियों में पूर्वावधि से संबंधित प्राप्तियां सम्मिलित है ।

### **द.** भूमि का विवरण

- i. सर्वे संख्या 91 में कवर किए गए ए सी 125.00 गुंटा का विस्तार प्रेमावतीपेट गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है ।
- ii. सर्वे संख्या 91 में कवर किए गए ए सी 27.26 गुंटा का विस्तार प्रेमावती पेट गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है ।
- iii. सर्वे संख्या 316 में कवर किए गए ए सी 8.08 गुंटा का विस्तार बुधवेल गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है।
- iv. सर्वे संख्या 273 में कवर किए गए ए सी 3.03 गुंटा का विस्तार बुधवेल गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है वर्तमान में यह भूमि अर्जन अधिकारी के पास अभिग्रहण में है ।
- v. 5 बिघा का विस्तार जो जवाहरनगर प्लॉट संख्या 19 है उसे डाग संख्या 341 एवं 346 खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा कवर किया गया है ।

- vi. 1 बिघा 1 काता का विस्तार जिसे डाग संख्या 346 (1223) खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा किया गया है।
- vii. शहरी विकास मंत्रालय, कोटला रोड़, राऊज एवेन्यु, नई दिल्ली द्वारा एनआईआरडीपीआर को प्लॉट नंबर 14, मापन को 850 वर्ग मीटर को जुलाई, 2002 में आबंटित की गई। यहां नोट करने वाली बात ये है कि आबंटन दिनांक से ही इस भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है।
- viii. 58 ब्लॉक डी सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी नई दिल्ली - 110 046 में निर्मित क्षेत्र 1408 वर्ग के साथ 1004 वर्ग मीटर प्लॉट भूमि मापा गया है।
- ix. परामर्शी-सह-संदर्शन (सीजीसी), वैशाली, बिहार द्वारा 6 एकड़ 92 डेक की भूमि पर कब्जा किया हुआ है। जमीन का मालिकाना हक बिहार राज्यपाल के नाम है। सीजीसी अपने उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने का हकदार है।

**द.** थर्ड पार्टियों से प्राप्त योग्य और कार्यक्रम / परियोजनाओं के शेष से संबंधित परिसंपत्ति पुष्टि की शर्त पर होगी।

**ध.** वर्ष 2020-21 में चिन्हित निधियों के बकाया पर ब्याज की बचत दर को परियोजना बहिखाता में जमा किया गया है। इस वर्ष के दौरान सामान्य लेखा में अर्जित कुल ब्याज में से अल्पावधि और दीर्घावधि निक्षेपों पर ब्याज रू. 2,62,52,511 की राशि को नामे करते हुए किया गया है।

**न.** मूल्यहास एक गैर-नकद व्यय है जिसे आय और व्यय खाते में व्यय के रूप में लिया जाता है और इसलिए मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के बाद से वित्त पोषित किया जा रहा है। वही 2018-19 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक 35.15 करोड़ रूपये जमा हुआ था। सिंकिंग / मूल्यहास निधि बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 35.15 करोड़ रूपये की उपरोक्त संचित राशि गलती से भवन निधि में अंतरित कर दी गई थी। चूंकि भवन निधि का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि के लिए किया जाता है। मूल्यहास की सिंकिंग फंड पद्धति के अनुसार, मूल्यहास को अचल संपत्तियों पर दर्शाया जाना चाहिए और मूल्यहास को सिंकिंग / मूल्यहास निधि में जमा किया जाना चाहिए। चूंकि, एनआईआरडीपीआर ने इस पद्धति का पालन नहीं किया, इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान "निर्धारित फंड" के शीर्ष के तहत सिंकिंग / मूल्यहास (उचंत) निधि बनाकर इसमें सुधार किया गया था। सिंकिंग/मूल्यहास निधि नामक एक अलग निधि बनाकर वित्त वर्ष 2021-22 में सस्पेंस को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। भवन निधि निवेशों से सिंकिंग/मूल्यहास निधि निवेशों इन्वेस्टमेंट्स में निवेश के हस्तांतरण के लिए संयुक्त उद्यम भी पारित किया गया था। चूंकि भौतिक रूप से निधि अंतरण संभव नहीं है क्योंकि निधि पहले से ही भवन निधि निवेश के तहत एफडी में निवेश किया गया था, परिपक्वता के बाद निधि को अलग कर दिया जाएगा और सिंकिंग/मूल्यहास निधि के उद्देश्य के लिए अलग से निवेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मूल्यहास 3.17 करोड़ रूपये का और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रू. 3.32 करोड़ कुल मिलाकर 6.49 करोड़ रूपये को भी सिंकिंग/मूल्यहास निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वित्तीय वर्ष में धन का कोई भौतिक हस्तांतरण नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य खाते के तहत संचित मूल्यहास रूपये 6.49 करोड़ को सिंकिंग/मूल्यहास निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद, मूल्यहास को अचल संपत्तियों पर प्रभारित नहीं किया जाएगा, इसके बजाय इसे सिंकिंग/मूल्यहास निधि में जमा किया जाएगा और मूल्यहास की समान राशि आय और व्यय खाते में व्यय के रूप में चार्ज की जाएगी और सिंकिंग निधि निवेश में अंतरित की जाएगी।

इसके अलावा, चूंकि एनआईआरडीपीआर एमओआरडी के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय है, 56.42 करोड़ रूपये का घाटा (कुल मूल्यहास रू. 98.05 करोड़ (रू. 35.15 करोड़ + रू. 3.32 करोड़ रू. वित्त वर्ष 2010-11 से मूल्यहास के रूप में) सिंकिंग/मूल्यहास निधि के मद में ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

- प. 31-03-2019 को 47.62 करोड़ रूपये के व्यय से अधिक अनुदान का संचित घाटा था । जो आईजीआर से प्राप्त हुआ था चूंकि एनआईआरडीपीआर पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसे एमओआरडी से प्राप्त किया जाना बाकी है । चूंकि निवल लेखापरीक्षित आईजीआर को संचित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है, यदि संबंधित वित्तीय वर्ष में एमओआरडी से पूर्ण जीआईए प्राप्त होता तो संचित निधि बढ़ जाता है इसलिए इसे अनुसूची - 3 में संचित निधि (एमओआरडी से पुर्नप्राप्त) के रूप में और देनदारियों के पक्ष में निर्धारित निधि और संपत्ति पक्ष पर अनुसूची ए4 चालू संपत्ति और अग्रिम के तहत गणना की गई थी ।

शशि भूषण  
(शशि भूषण)  
वित्तीय सलाहकार



महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय  
सैफाबाद, हैदराबाद - ५०० ००४

OFFICE OF THE  
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)  
SAIFABAD, HYDERABAD - 500 004.

No.DGA(C)/CEA/Unit-1/NIRD&PR/SAR.2020-21/ 2021-22/

Date: 11.02.2022

सेवा में

सचिव,

भारत सरकार,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,

नई दिल्ली -110 001

महोदय,

विषय: राष्ट्रीय संस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायतीराज, राजेंद्रनगर, हैदराबाद के वर्ष 2020-21 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

\*\*\*\*\*

Separate Audit Report (SAR) on the Accounts of National Institute of Rural Development & Panchayat Raj (NIRD&PR), Hyderabad, for the year 2020-21, Annexure to SAR and one copy of the Annual Accounts of the Institute for the year 2020-21, are forwarded herewith for placing before the Parliament.

The dates of presentation of Separate Audit Report in both the Houses of Parliament may please be intimated.

Receipt of this letter along with the enclosures may kindly be acknowledged.

भवदीय,

Sd/-

महा निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)

Director General of Audit (Central)

✓ Endt. No.DGA(C)/CEA/Unit-1/NIRD&PR/SAR.2020-21/ 2021-22/117 Date: 11.02.2020

Copy to **Shri G. Narendra Kumar, Director General**, National Institute of Rural Development & Panchayat Raj, Rajendranagar, Hyderabad-500 030, along with one copy of Annual Accounts for the year 2020-21 (English version), with a request to furnish Hindi version of the approved Annual Accounts 2020-21 (2 sets), to this Office.

संल: यथोपरि

ch.v.sarp  
2022

निदेशक/ केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा  
DIRECTOR/ CEA

## 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर

1. हमने, 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद का संलग्न तुलन पत्र, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा, प्राप्ति और भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षा को 2021-22 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में गुवाहाटी क्षेत्रीय केंद्र के लेखें भी शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों की अनुरूपता आदि के संबंध में लेखांकन निरूपण पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा-अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो तो निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित की जाती है।
3. हमने, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों को सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय जानकारियों में और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाली राशि शामिल हैं। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
  - ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्ति और भुगतान खाते को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
  - iii. हमारी राय में, संस्थान द्वारा वित्त उप-नियम 31 के तहत आवश्यक खातों की उचित पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को बनाए रखा गया है, जहां तक ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
  - iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

### लेखों पर टिप्पणियाँ:

#### क. समेकित तुलन पत्र

##### क.1 पूंजी और देयताएं

##### क.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹ 35.90 करोड़

**क.1.1.1** इसमें निर्धारित विशिष्ट परियोजनाओं (एनआरओ / डीडीयू-जीकेवाई-एल 6-एस 2233) के लिए ग्रामीण विकास

मंत्रालय से संस्थान द्वारा प्राप्त निगरानी शुल्क के लिए 13.73 करोड़ रुपये की अंतिम शेष राशि शामिल है और विशिष्ट गतिविधियों पर खर्च किया जाना है। /स्वीकृत विशिष्ट परियोजनाओं की निगरानी से संबंधित उद्देश्य। इसे गलत तरीके से मौजूदा देनदारियों के तहत वर्गीकृत किया गया था, न कि निर्धारित निधि के रूप में, हालांकि खातों के समान प्रारूप (पृष्ठ 26) के अनुसार अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों को अधिक बताया गया और निर्धारित निधियों को 13.73 करोड़ रुपये से कम बताया गया।

**क.1.1.2 अनुसूची-3-निर्धारित निधि (viii) के तहत डीडीयू जीकेवाई परियोजना (क्रमांक 174-एल 6) के प्रारंभिक शेष और समापन शेष में गलत तरीके से प्रदर्शित 0.21 करोड़ रुपये<sup>1</sup> की राशि - परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान इसके परिणामस्वरूप निर्धारित निधि को अधिक बताया गया और वर्तमान परिसंपत्तियों को रु.0.21 करोड़ तक कम दर्शाया गया।**

**ख. सहायता अनुदान:** सहायता अनुदान: रुपये के कुल सहायता अनुदान में से 80.43 करोड़<sup>2</sup> और अप्रयुक्त शेष रु. 34.15 करोड़ (वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक एनआईआरडी एवं पीआर द्वारा प्रस्तुत सहायता स्थिति और व्यय विवरण में अनुदान के पुनः सत्यापन के बाद संशोधित) पिछले वर्ष से संबंधित, कुल रु. 114.58 करोड़, संस्थान ने 73.12 करोड़<sup>3</sup> रुपये की राशि का उपयोग किया, 31 मार्च 2021 तक शेष राशि को छोड़कर 41.46 करोड़ की राशि अव्ययित रही।

#### ग. लेखा पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव

पिछले पैराग्राफों में दिए गए खातों के संशोधन के बाद लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव निर्धारित निधियों का अधिक विवरण और वर्तमान परिसंपत्तियों को रु.0.21 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया था।

#### घ. प्रबंधन पत्र

अलग ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई कमियों को निदानात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) के ध्यान में लाया गया है।

- v. पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन-पत्र, आय और व्यय खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए प्राप्तियां और भुगतान खाते खातों की किताबों के साथ समझौते में हैं।
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ-साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। रिपोर्ट, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन

<sup>1</sup>डीडीयूजीकेवाई के तुलन-पत्र के अनुसार रु. 1,62,66,189 की राशि को लेखों के बीच अंतरित किया गया और इस राशि को डीडीयूजीकेवाई के आदि शेष और अंत शेष में शामिल किया जाना था। हालांकि रु. 1,83,87,791 की राशि प्रारंभिक और अंत शेष में शामिल थी। अंतर था रु. 1,83,87,791 – रु.1,62,66,189 = रु. 21,21,602। डीडीयूजीकेवाई का आदि शेष रु. 9,43,56,294 के बजाय रु. 9,64,77,896 दर्शाया गया। डीडीयूजीकेवाई का अंत शेष रु. 12,11,02,892 के बजाय रु. 12,32,24,494 रूपये दर्शाया गया।

<sup>2</sup>प्राप्त अनुदान = रु. 80.43 करोड़ (वेतन = रु. 60.15 करोड़, सामान्य = रु. 20.28 करोड़)

<sup>3</sup>व्यय राशि = रु. 71.79 करोड़ + नियत संपत्तियों की खरीद = रु. 1.33 करोड़

सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें:


- क) जहां तक यह 31 मार्च 2021 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), ह  
हैदराबाद के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; तथा
- ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।



**महालेखापरीक्षक (केंद्रीय)**

## परिशिष्ट

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:** संगठन में कोई अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं है। वर्ष 2020-21 के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संस्थान का आंतरिक ऑडिट किया गया था, हालांकि सीए फर्म द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:** आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं थे क्योंकि शीर्ष का गलत वर्गीकरण देखा गया
3. **नियत संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** वर्ष 2020-21 के लिए नियत संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।
4. **सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** वर्ष 2020-21 के लिए इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन पूर्ण किया गया
5. **सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता:** संस्थान वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमित है।



Chy. Kishor  
DIRECTOR/ CEA

निदेशक / सीईए

**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तर**

लेखापरीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
<p>1. हमने, 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद का संलग्न तुलन पत्र, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा, प्राप्ति और भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षा को 2021-22 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में गुवाहाटी क्षेत्रीय केंद्र के लेखें भी शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p>2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों की अनुरूपता आदि के संबंध में लेखांकन निरूपण पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा-अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो तो निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित की जाती है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p>3. हमने, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों को सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय जानकारियों में और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाली राशि शामिल हैं। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p>4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:</p>	
<p>i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p>ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं।</p>

लेखापरीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
iii. हमारी राय में, संस्थान द्वारा वित्त उप-नियम 31 के तहत आवश्यक खातों की उचित पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को बनाए रखा गया है, जहां तक ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि: <b>लेखों पर टिप्पणियाँ:</b>	
<p>क. समेकित तुलन पत्र</p> <p><b>क.1 पूंजी और देयताएं</b></p> <p><b>क.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹ 35.90 करोड़</b></p> <p><b>क.1.1.1</b> इसमें निर्धारित विशिष्ट परियोजनाओं (एनआरओ / डीडीयू-जीकेवाई-एल 6-एस 2233) के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से संस्थान द्वारा प्राप्त निगरानी शुल्क के लिए 13.73 करोड़ रुपये की अंतिम शेष राशि शामिल है और विशिष्ट गतिविधियों पर खर्च किया जाना है। /स्वीकृत विशिष्ट परियोजनाओं की निगरानी से संबंधित उद्देश्य। इसे गलत तरीके से मौजूदा देनदारियों के तहत वर्गीकृत किया गया था, न कि निर्धारित निधि के रूप में, हालांकि खातों के समान प्रारूप (पृष्ठ 26) के अनुसार अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों को अधिक बताया गया और निर्धारित निधियों को 13.73 करोड़ रुपये से कम बताया गया।</p>	<p>एनआईआरडीपीआर में डीडीयूजीकेवाई परियोजना प्रकोष्ठ को एनआईआरडीपीआर को आवंटित राज्यों द्वारा डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में कार्य करने हेतु गठित किया गया है। मंत्रालय ने निगरानी और मूल्यांकन, वित्तीय लेखा परीक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मंत्रालय को नीति समर्थन जैसे नामित गतिविधियों को करने के लिए सीटीएसए की सुविधा के लिए एनआईआरडीपीआर को 16 राज्यों और नाबार्ड के एक संगठन नैबकॉन्स को शेष राशि आवंटित की है। राज्य डीडीयूजीकेवाई इकाइयों आदि को सहायता प्रदान करना।</p> <p>मंत्रालय एनआईआरडीपीआर के सीटीएसए द्वारा निगरानी शुल्क के रूप में निधियां जारी करता है। एनआईआरडीपीआर इस निगरानी शुल्क का उपयोग व्यय के लिए करता है जैसे एनआईआरडीपीआर द्वारा नियुक्त लगभग 100 उच्च स्तरीय पेशेवरों / सलाहकारों का पारिश्रमिक, उनका टीए और डीए, एनआईआरडीपीआर में सेल का रखरखाव, समीक्षा बैठकें आदि। इन सभी गतिविधियों की लागत को एनआईआरडीपीआर के सीटीएसए द्वारा 1.5% के निगरानी शुल्क में से कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाता है।</p> <p>इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगरानी शुल्क निर्धारित निधि नहीं है। यह विशुद्ध रूप से प्राप्त शुल्क है और एनआईआरडीपीआर द्वारा किसी भी समय आय के रूप में लिया जा सकता है और इसलिए इसे वर्तमान देनदारियों के तहत समूहीकृत किया जाता है। अतीत में, एनआईआरडीपीआर ने डीडीयू जीकेवाई की आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद, आय और व्यय खाते में आय के रूप में डीडीयू जीकेवाई निगरानी शुल्क के समापन शेष का एक भाग लिया है।</p>

लेखापरीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
	<p>लेखांकन की पारंपरिक अवधारणा का पालन करते हुए, एनआईआरडीपीआर को प्राप्ति के वर्ष के दौरान निगरानी शुल्क की पूरी रसीद को आय के रूप में लेना होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, 1 अप्रैल के बाद सीटीएसए के चालू व्यय को पूरा करने के लिए निगरानी प्रभार बहीखाता में तब तक कोई शेष नहीं होगा जब तक कि मंत्रालय से आगे निगरानी प्रभार प्राप्त नहीं हो जाते।</p> <p>इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में और उसके दौरान निगरानी शुल्क प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं है। तथापि, एनआईआरडीपीआर को निरंतर आधार पर सीटीएसए पर व्यय को पूरा करना होता है। इसलिए, एनआईआरडीपीआर विवेकपूर्ण वित्तीय सिद्धांतों का पालन कर रहा है और वर्तमान देनदारियों के तहत निगरानी शुल्क के संतुलन का प्रदर्शन कर रहा है।</p> <p>रु.13,73,28,131/- की राशि अनुसूची में दर्शाई गई है। एल6 में पहले से संवितरित राशि का 1.5% निगरानी शुल्क शामिल है। एनआईआरडीपीआर के डीडीयूजीकेवाई परियोजना प्रकोष्ठ के कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार, उनका खर्च केवल निगरानी शुल्क के 1.5 प्रतिशत में से पूरा किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी नमूना स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त के मद्देनजर यह दोहराया जाता है कि निगरानी शुल्क निर्धारित निधि नहीं है और यह वाणिज्यिक अर्थों में सीटीएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान किया गया शुल्क है और इसलिए कोई भी बचत या कमी एनआईआरडीपीआर के दायरे में होगी। इसलिए निगरानी प्रभारों के संतुलन को चालू दायित्व के रूप में दर्शाने का लेखा-जोखा उचित और वैध है।</p> <p>यह प्रस्तुत करना उचित है कि तुलन पत्र में कोई प्रभाव नहीं है। निर्धारित निधि और वर्तमान देयताओं दोनों ही देयताओं का हिस्सा हैं। हालांकि, निगरानी शुल्क एक विशिष्ट परियोजना दायित्व नहीं है और इसे निर्धारित निधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। डीडीयू जीकेवाई निगरानी शुल्क की प्राप्ति या डीडीयू जीकेवाई इकाई के खर्च को पूरा करने के लिए अलग रखी जाती हैं और इसका एक हिस्सा समीक्षा/कार्य योजना/व्यय प्रक्षेपण के आधार पर संस्थान की आय में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एस2233 निगरानी शुल्क की शेष राशि को वर्तमान देयता के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे निर्धारित निधि के रूप में नहीं माना जा सकता है। अतः अनुसूची एल6 के अंतर्गत रु.13,73,28,131/- को दर्शाना सही है।</p>

लेखापरीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
<p><b>क.1.1.2</b>                      अनुसूची-3-निर्धारित निधि (viii) के तहत डीडीयू जीकेवाई परियोजना (क्रमांक 174-एल 6) के प्रारंभिक शेष और समापन शेष में गलत तरीके से प्रदर्शित 0.21 करोड़<sup>1</sup> रुपये की राशि - परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान इसके परिणामस्वरूप निर्धारित निधि को अधिक बताया गया और वर्तमान परिसंपत्तियों को रु.0.21 करोड़ तक कम दर्शाया गया।</p>	<p>लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया जाता है और वार्षिक लेखा 2021-22 में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p><b>ख. सहायता अनुदान:</b></p> <p>रुपये के कुल सहायता अनुदान में से 80.43 करोड़<sup>2</sup> और अप्रयुक्त शेष रु. 34.15 करोड़ (वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक एनआईआरडी एवं पीआर द्वारा प्रस्तुत सहायता स्थिति और व्यय विवरण में अनुदान के पुनः सत्यापन के बाद संशोधित) पिछले वर्ष से संबंधित, कुल रु. 114.58 करोड़, संस्थान ने 73.12 करोड़<sup>3</sup> रुपये की राशि का उपयोग किया, 31 मार्च 2021 तक शेष राशि को छोड़कर 41.46 करोड़ की राशि अव्ययित रही।</p>	<p>लेखापरीक्षा में अप्रयुक्त शेष रु.34.15 करोड़ पर एक टिप्पणी की गई थी। हालांकि, इसका ब्रेकअप एनआईआरडीपीआर को उपलब्ध नहीं कराया गया था। एनआईआरडीपीआर रिकॉर्ड के अनुसार जो डीजीए (सी), हैदराबाद के कार्यालय में जमा किए गए थे, 01-04-2021 को अनुदान की शुरुआती शेष राशि केवल 41.61 लाख रुपये है। इसके अलावा, 2020-21 के लिए आय और व्यय खातों में व्यय में शामिल 3.3549 करोड़ रुपये के मूल्यहास पर विचार नहीं करने के कारणों को अवलोकन में नहीं लाया गया है। एनआईआरडीपीआर प्रोद्भवन आधारित लेखांकन का अनुसरण करता है, जिसके तहत मूल्यहास को व्यय के रूप में मानना आवश्यक है।</p> <p>इसके अलावा, वार्षिक लेखा 2020-21 को संशोधित किया गया है। तदनुसार, अनुदानों की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है:</p> <p style="text-align: right;">(राशि रुपये में)</p> <p>31-03-2020 को अव्ययित अनुदान राशि को 2020-21 तक ले जाया गया: 41.61 लाख रुपये</p> <p>वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान : रु.80.43 करोड़</p> <p>2020-21 के लिए कुल अनुदान: 80.84 करोड़ रुपये</p>

<sup>1</sup>डीडीयूजीकेवाई के तुलन-पत्र के अनुसार रु. 1,62,66,189 की राशि को लेखों के बीच अंतरित किया गया और इस राशि को डीडीयूजीकेवाई के आदि शेष और अंत शेष में शामिल किया जाना था। हालांकि रु. 1,83,87,791 की राशि प्रारंभिक और अंत शेष में शामिल थी। अंतर था रु. 1,83,87,791 – रु.1,62,66,189 = रु. 21,21,602। डीडीयूजीकेवाई का आदि शेष रु. 9,43,56,294 के बजाय रु. 9,64,77,896 दर्शाया गया। डीडीयूजीकेवाई का अंत शेष रु. 12,11,02,892 के बजाय रु. 12,32,24,494 रुपये दर्शाया गया।

<sup>2</sup>प्राप्त अनुदान = रु. 80.43 करोड़ (वेतन = रु. 60.15 करोड़, सामान्य = रु. 20.28 करोड़)

<sup>3</sup> व्यय राशि = रु. 71.79 करोड़ + नियत संपत्तियों की खरीद = रु. 1.33 करोड़

लेखापरीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
	<p>व्यय: (राशि रुपये में)  वेतन : 55.85 करोड़  सामान्य: 20.15 करोड़  अन्य: 0.01 करोड़  पूंजी: 1.34 करोड़  कुल: 77.35 करोड़  अनुदान की अव्ययित शेष राशि: रु.3.49 करोड़ - (पिछले वर्षों के संचित घाटे के विरुद्ध समायोजित)</p> <p>(राशि रुपये में)  योजनागत पूंजी अनुदान का ओबी: 44.86 करोड़  ब्याज आय: 1.33 करोड़  व्यय 0.00 करोड़  योजना पूंजी अनुदान का शेष: 46.19 करोड़  चालू वर्ष अर्थात 2020-21 से संबंधित 40.85 करोड़ रुपये के अप्रयुक्त शेष का आंकड़ा जैसा कि लेखापरीक्षा टिप्पणी में दिया गया है, खातों का सही प्रतिबिंब नहीं है। 2010-11 से 2020-21 के लिए अनुदान, प्राप्त अनुदान, व्यय, अनुदान की अंतिम शेष राशि का विस्तृत विवरण पहले ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जा चुका है। ऊपर दिए गए विवरण और आंकड़े खातों का सही प्रतिबिंब हैं।  जैसा कि 2010-11 से 2020-21 के लिए 10 वर्षों के विवरण में देखा जा सकता है, 1-04-2020 को अनुदान का प्रारंभिक शेष केवल 41.61 लाख रुपये है, न कि 34.15 करोड़ रुपये जैसा कि पैरा में दिया गया है</p>
<p><b>ग. लेखा पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव</b>  पिछले पैराग्राफों में दिए गए खातों के संशोधन के बाद लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव निर्धारित निधियों का अधिक विवरण और वर्तमान परिसंपत्तियों को रु.0.21 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया था।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p><b>घ. प्रबंधन पत्र</b>  अलग ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई कमियों को निदानात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) के ध्यान में लाया गया है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं।</p>

लेखापरीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
<p>v. पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन-पत्र , आय और व्यय खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए प्राप्तियां और भुगतान खाते खातों की किताबों के साथ समझौते में हैं।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं ।</p>
<p>vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ-साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। रिपोर्ट, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें:</p> <p>क) जहां तक यह 31 मार्च 2021 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; तथा</p> <p>ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं ।</p>

**परिशिष्ट**

लेखा परीक्षा का सार	संस्थान के उत्तर
<p><b>1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:</b> संगठन में कोई अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं है। वर्ष 2020-21 के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संस्थान का आंतरिक ऑडिट किया गया था, हालांकि सीए फर्म द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।</p>	<p>आंतरिक लेखापरीक्षा विंग एनआईआरडीपीआर में 00 680 द्वारा दिनांक 04-02-2021 के अनुसार बनाया गया। वर्ष 2020-21 के लिए संस्थान का आंतरिक लेखा परीक्षा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2020-21 प्राप्त हो गई है और उसकी प्रति अगले लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी।</p>
<p><b>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:</b> आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं थे क्योंकि शीर्ष का गलत वर्गीकरण देखा गया</p>	<p>बजटीय नियंत्रण और सही लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग बहीखाता बनाए जाते हैं।</p>
<p><b>3. नियत संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:</b> वर्ष 2020-21 के लिए नियत संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p><b>4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:</b> वर्ष 2020-21 के लिए इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन पूर्ण किया गया</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p><b>5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता:</b> संस्थान वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमित है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं।</p>







**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**  
**ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार**  
**राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030**

[www.nirdpr.org.in](http://www.nirdpr.org.in)



प्रशिक्षण और  
कौशल निर्माण



अनुसंधान और  
ग्रामीण विकास



नीति प्रयोग  
और समर्थन



प्रौद्योगिकी  
अंतरण



वैश्वस्यिक  
कार्यक्रम



अभिनव कौशल  
और आजीविका